से

नाम: _____

पता:_____

_____

_____

तारीख:_____

को,

शाखा प्रबंधक
शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
शाखा:_____

प्रिय महोदय/महोदया,

यह पुष्टि और आपको सूचित करने के लिए है कि आपके द्वारा मेरे/हमारे द्वारा टर्म लोन के आवेदन और आवश्यक लोन समझौतों, अन्य दस्तावेजों आदि के निष्पादन तथा वित्तीय सहायता के लिए अन्य सभी आवश्यक औपचारिकताओं का पालन करने के संबंध में, मैंने/हमने निम्नलिखित विवरण के अनुसार एक बैठक की:

बैंक अधिकारी/प्रतिनिधि का नाम जिनसे मुलाकात हुई।	
बैठक की तिथि:	
बैठक का समय:	
बैठक का स्थान/पता:	

उधार लेने वाला सहउधार लेने वाला सहउधार लेने वाला सह उधारकर्ता

ऋण समझौता

यह अनुबंध अनुसूची ए की मद सं. I में उल्लिखित स्थान पर और अनुसूची ए की मद सं. II में निर्दिष्ट तारीख को शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, (भारतीय) कंपनी अधिनियम, 2013 (सीआईएन:U65900DL2020PLC366027) के अंतर्गत निगमित एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अर्थ में बैंकिंग कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय 501, सालकॉन ऑरम जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली 110025 में है और जिसका संबंधित शाखा कार्यालय अनुसूची ए की मद सं. III में उल्लिखित पते पर है (इसके बाद इसे "बैंक" कहा जाएगा, जिसकी अभिव्यक्ति, जब तक कि यह इसके अर्थ या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इसका अर्थ होगा और इसमें शीर्षक और असाइनमेंट में इसके उत्तराधिकारी शामिल होंगे) एक पक्ष का;

और

अनुसूची ए की मद संख्या IV में निर्दिष्ट व्यक्ति/व्यक्तियों (जिन्हें इसके बाद / सामूहिक रूप से "उधारकर्ता" के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जिसे स्वीकृत अभिव्यक्ति से, जब तक कि यह इसके अर्थ या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, अभिप्रेत है और इसमें शामिल हैं, उसके/उसकी, उनके संबंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि (जहां उधारकर्ता एक व्यक्ति/एकमात्र स्वामी है), उत्तराधिकारी (जहां उधारकर्ता कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत निगमित कंपनी या कोई अन्य निगमित निकाय है), फर्म के समय-समय पर भागीदार, उनमें से उत्तरजीवी और भागीदारों के उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि और उत्तराधिकारी (जहां उधारकर्ता एक साझेदारी फर्म है), उक्त हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य या वर्तमान सदस्य और उनके संबंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती (जहां उधारकर्ता एक हिंदू अविभाजित परिवार है) अन्य भाग;

जबकि:

(a) यह बैंक, अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय सहायता प्रदान करने और ऋण सुविधाएं प्रदान करने के व्यवसाय में लगा हुआ है।

(b) उधारकर्ता ने अनुसूची ए की मद संख्या V में उल्लिखित राशि के ऋण/वित्तीय सहायता के लिए बैंक से संपर्क किया है, जिसे बैंक ने इसमें निहित नियमों और शर्तों पर प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है।

(c) यहां पक्षकार बैंक द्वारा उधारकर्ता को दिए जाने वाले प्रस्तावित ऋण के संबंध में नियमों और शर्तों तथा उससे संबंधित कुछ अन्य मामलों को नीचे दिए गए तरीके से दर्ज करने के इच्छुक हैं।

अनुच्छेद 1
परिभाषाएँ और व्याख्याएँ

1.1 इस समझौते में, जब तक कि विषय या संदर्भ के प्रतिकूल कुछ न हो, नीचे सूचीबद्ध अभिव्यक्तियों के निम्नलिखित अर्थ होंगे अर्थात:

a) "ब्याज की अस्थिर दर" जब ऋण पर लागू होती है, तो इसका अर्थ अनुसूची सी में विशेष रूप से उल्लिखित नियमों और शर्तों पर ऋण पर लागू ब्याज की परिवर्तनीय दर होगी और इसमें विशेष रूप से उल्लिखित नियमों और शर्तों पर लागू होगी।

b) "आवेदन" का अर्थ है ऋण के लिए बैंक द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र में ऋणी द्वारा किया गया आवेदन और जहां संदर्भ की आवश्यकता हो, ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से ऋणी द्वारा बैंक को प्रस्तुत की गई अन्य सभी जानकारी।

c) उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता का अर्थ होगा और इसमें शामिल होगा जहां संदर्भ स्वीकार करता है और विषय जैसा कि इसके बाद प्रदान किया गया है (ए) यदि उधारकर्ता एक व्यक्ति / एकमात्र मालिकाना चिंता है - उत्तराधिकारी, निष्पादक कानूनी प्रतिनिधि और व्यक्ति / एकमात्र मालिक के अनुमत समनुदेशिती
(ख) यदि उधारकर्ता एक साझेदारी फर्म है तो साझेदारी फर्म के वर्तमान और समय-समय पर साझेदार, उनके उत्तरजीवी या उत्तरजीवी, उनके संबंधित वारिस, प्रशासक, निष्पादक, कानूनी प्रतिनिधि और अनुमत समनुदेशिती और (ग) उधारकर्ता के साथ होने की स्थिति में - उसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती

d) "ऋण सूचना" का तात्पर्य ऋणी या गारंटर द्वारा बैंक को समय-समय पर किसी भी रूप में दी गई सभी सूचनाएं, दस्तावेज, अभ्यावेदन, विवरण और स्पष्टीकरण से है और इसमें आवेदन में निहित सूचनाएं शामिल होंगी।

e) "प्रतिबद्धता प्रभार का अर्थ होगा बैंक द्वारा उधारकर्ता पर अनुसूची-ए के मद संख्या VIII में उल्लिखित दर पर ऋण की अप्रयुक्त स्वीकृत राशि या इस समझौते में सहमत किसी भी नियम व शर्त के गैर-अनुपालन पर लगाया जाने वाला एकमुश्त प्रतिबद्धता प्रभार।"

f) "निर्माण" का अर्थ है और इसमें किसी मकान, फ्लैट, अपार्टमेंट, इमारत या संपत्ति में कोई भी संशोधन, विस्तार, नवीनीकरण, मरम्मत सुधार, नया निर्माण, पुनर्निर्माण या इसी तरह की प्रकृति की कोई अन्य गतिविधि शामिल है।

g) "संवितरण अनुरोध तिथि" का तात्पर्य खंड 2.4(सी) के अनुसार निर्धारित तिथि/तिथियों से होगा।

h) "बकाया" का अर्थ इस समझौते के तहत समय-समय पर उधारकर्ता द्वारा बैंक को देय सभी राशियाँ हैं, जिसमें ऋण की अदायगी के लिए देय मूल राशि, ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, शुल्क, प्रतिबद्धता शुल्क, लागत, अन्य शुल्क और व्यय शामिल हैं, जिनमें बिना किसी सीमा के केवल मासिक किस्त और/या

पीएमआईआई (यदि लागू हो) शामिल हैं।

i) "देय तिथि" का अर्थ है, वह तिथि जिस पर ऋण की मूल राशि और/या ब्याज और/या मासिक किस्त और/या इस समझौते के तहत देय कोई अन्य राशि और/या बकाया, जैसा भी मामला हो, इस समझौते के किसी अनुसूची या अनुच्छेद के तहत भुगतान के लिए देय है।

j) "इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग सिस्टम (ईसीएस)" - भारतीय रिजर्व बैंक की भागीदारी द्वारा अधिसूचित एक डेबिट क्लियरिंग सेवा, जिसकी किश्तों के भुगतान की सुविधा के लिए उधारकर्ताओं द्वारा लिखित रूप में सहमति दी गई है।

k) "वित्तीय स्वैपिंग" जब ऋण पर लागू होता है तो इसका अर्थ है उधारकर्ता द्वारा अन्य बैंकों से लिए गए एक या एक से अधिक ऋणों का हस्तांतरण। किसी भी प्रयोजन के लिए किसी संस्था/ऋणदाता से बैंक को ऋण लेकर ऋण देना।

l) "निश्चित ब्याज दर" जब किसी ऋण पर लागू होती है, तो इसका अर्थ ऋण पर देय ब्याज की निश्चित दर होगी, जैसा कि अनुसूची बी में और उसमें निहित नियमों और शर्तों पर विशेष रूप से निर्धारित किया गया है।

m) "फीस और प्रभार" का अर्थ होगा और इसमें प्रसंस्करण शुल्क, सेवा शुल्क, पूर्व भुगतान शुल्क, चेक बाउंस शुल्क, देर से भुगतान शुल्क, चेक स्वैपिंग शुल्क, ऋण पुनर्निर्धारण शुल्क, मूल्यांकन शुल्क, ऋण विवरण शुल्क, ऋण रद्दीकरण और पुनः बुकिंग शुल्क, स्टांप शुल्क और अन्य वैधानिक शुल्क, एनओसी जारी करने के शुल्क, कानूनी संग्रह, पुनः कब्ज़ा और आकस्मिक शुल्क, लेनदेन शुल्क और अन्य शुल्क और बैंक द्वारा प्राप्त होने वाली अन्य सभी राशियाँ शामिल होंगी, लेकिन यहाँ निर्दिष्ट तक सीमित नहीं होंगी।

n) "गारंटी" का अर्थ है गारंटर द्वारा इस अनुबंध के अंतर्गत ऋणी द्वारा की गई चूक या इसके संबंध में किसी संशोधन, परिवर्तन, अनुपूरक अनुबंध या ऋणी के किसी अन्य बकाया, चाहे वह ऋण के संबंध में हो या अन्यथा, के मामले में ऋणी के दायित्व का निर्वहन करने के लिए दी गई गारंटी (यदि कोई हो)।

o) "गारंटर" का अर्थ है वह व्यक्ति/व्यक्तियों जिसने गारंटी दी है और जहां ऐसा व्यक्ति/व्यक्तियाँ व्यक्ति है, तो इसमें उसके, उसके, उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे और जहां ऐसा व्यक्ति/व्यक्तियाँ साझेदारी फर्म है, तो इसमें उस समय के साझेदार और उनके संबंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे, और जहां ऐसा व्यक्ति/व्यक्तियाँ कॉर्पोरेट है, तो इसमें उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल होंगे और जहां गारंटर एक हिंदू अविभाजित परिवार है, तो इसमें उक्त हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य या उस समय के सदस्य और उनके संबंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे; गारंटर हमेशा बैंक को गारंटर के रूप में स्वीकार्य व्यक्ति/व्यक्तियों होगा।

p) "उधारकर्ता का ऋणग्रस्तता" का अर्थ है किसी भी समय उधार ली गई, अनुबंधित या जुटाई गई धनराशि (नकद प्रतिफल के लिए हो या न हो) या किसी भी माध्यम से अनुबंधित देनदारियों (उधारकर्ता द्वारा या उधारकर्ता से संबंधित या जुड़े किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा गारंटी, क्षतिपूर्ति, स्वीकृति, बांड, क्रेडिट, जमा, किराया खरीद और पट्टे सहित) के संबंध में बैंक के प्रति उधारकर्ता का कोई ऋणग्रस्तता; और इसमें उधारकर्ता के किसी सहयोगी या सहयोगी या उधारकर्ता से संबंधित या जुड़े किसी संस्था का बैंक या बैंक के किसी सहयोगी या सहयोगी के प्रति कोई ऋणग्रस्तता भी शामिल मानी जाएगी।

q) "ब्याज" का अर्थ अनुसूची ए के मद संख्या vi में उल्लिखित ब्याज दर है जिसे अनुसूची बी या अनुसूची सी की प्रासंगिक शर्तों के साथ पढ़ा जाए, जैसा भी मामला हो या इस समझौते के अनुसार समय-समय पर बैंक द्वारा घोषित और संशोधित किया गया हो।

r) "ऋण" से तात्पर्य इस ऋण समझौते के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता की राशि से है, जैसा कि अनुसूची ए की मद संख्या v में विशेष रूप से उल्लिखित है।

s) "भौतिक प्रतिकूल प्रभाव" का अर्थ ऐसी घटना से है जो बैंक की राय में, उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति या इस समझौते के तहत अपने भौतिक दायित्वों को पूरा करने या उनका पालन करने की उधारकर्ता की क्षमता को ख़राब कर सकती है।

t) "अधिकतम अवधि" का तात्पर्य बैंक की नीति के अनुसार समय-समय पर निर्धारित अवधि से है जो बैंक द्वारा ग्राहक/उधारकर्ता को दी जाने वाली अधिकतम अवधि है।

u) "मासिक किस्त" का अर्थ ऋणदाता द्वारा ऋण चुकाने के लिए मासिक आधार पर देय किस्तों से है, जो इस समझौते के तहत समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित की जा सकती है और इसमें ऋण की मूल राशि और उस पर ब्याज दोनों शामिल हैं। ऐसी मासिक किस्तों को या तो बराबर किया जा सकता है या अन्यथा।

v) "पीएमआईआई" का अर्थ है बैंक द्वारा अनुसूची ए के मद संख्या vi में उल्लिखित दर पर प्रासंगिक अनुसूची बी या सी के साथ पढ़ा जाए, जैसा भी मामला हो, ऋण के संवितरण अनुरोध तिथि (जैसा कि नीचे खंड 2.4 (डी) में परिभाषित किया गया है) से मासिक किस्त के प्रारंभ होने से तुरंत पहले की तारीख तक की अवधि के लिए लिया जाने वाला मासिक किस्त ब्याज।

w) "संपत्ति" से तात्पर्य अनुसूची डी में विशेष रूप से वर्णित अचल संपत्ति से है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं -

फ्लैट के मामले में, संपूर्ण निर्मित क्षेत्र (और उसमें कोई भी वृद्धि), भवन के सामान्य क्षेत्रों में आनुपातिक हिस्सा जिसमें ऐसा फ्लैट स्थित है/होगा और उस भूमि में आनुपातिक अविभाजित हिस्सा जिस पर उक्त भवन स्थित है या बनाया जा रहा है/बनाया जाएगा, जिसमें ऐसे फ्लैट को विशेष रूप से आवंटित कोई खुला/ढका हुआ गैराज स्थान भी शामिल है; और/या

I. किसी व्यक्तिगत मकान के मामले में, मकान और भूमि का सम्पूर्ण भूखण्ड जिस पर मकान स्थित है या जिस पर मकान बनाया जाएगा, जिसमें समस्त सुखाधिकार शामिल हैं; और/या
II. भूमि के किसी भूखण्ड के मामले में, भूमि, उससे जुड़े किसी सुखाधिकार अधिकार के निरस्तीकरण/समाप्ति/विनिमय के बिना; और/या
III. संपत्ति में निहित सभी फर्नीचर और फिक्सचर, (यदि कोई हो); और/या
IV. अनुसूची डी में वर्णित कोई अन्य अचल संपत्ति, जिसमें संपूर्ण निर्मित क्षेत्र, आनुपातिक भूमि और ऐसी संपत्ति से जुड़े सभी अन्य अधिकार शामिल हैं।

x) "स्वीकृति पत्र" का तात्पर्य बैंक द्वारा जारी किया गया पत्र, यदि कोई हो, से है, जिसे ऋणी द्वारा स्वीकार किया गया है, जिसमें पत्र में उल्लिखित प्रासंगिक विवरण के साथ ऋण स्वीकृत किया गया है, जिसमें बाद में किसी भी संशोधन के साथ जारी किया गया ऐसा कोई भी पत्र शामिल है।

y) "प्रतिभूति" का तात्पर्य ऐसी प्रतिभूति से है जिसे ऋणी द्वारा बैंक के पक्ष में बनाया जा सकता है या बनाने के लिए सहमति दी जा सकती है ताकि ऋणी द्वारा बैंक को देय राशि का भुगतान सुरक्षित किया जा सके और/या ऋणी द्वारा इस समझौते के तहत प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया जा सके।

z) "प्रतिस्थापन ब्याज" का तात्पर्य चूक की स्थिति में देय ब्याज से होगा, जैसा कि खंड 2.2(एफ) में विशेष रूप से निर्धारित किया गया है।

aa) "यह अनुबंध" का अर्थ है पार्टियों द्वारा निष्पादित यह ऋण अनुबंध जिसमें सभी अनुसूचियाँ और अनुलग्नक शामिल हैं और इसमें कोई भी संशोधन या संशोधन जो पार्टियों द्वारा समय-समय पर निष्पादित किया जा सकता है। इसमें ऋण के अनुदान के लिए ऋणी द्वारा बैंक को प्रस्तुत किया गया आवेदन और ऋण को स्वीकृत करने के लिए बैंक द्वारा ऋणी को जारी किया गया स्वीकृति पत्र भी शामिल होगा।

bb) "कर" का अर्थ सभी कर, शुल्क, अधिरोपण, उपकर, शुल्क और कराधान के अन्य रूप हैं, जिनमें (परन्तु बिना किसी सीमा के) मूल्य वर्धित कर, सेवा कर, कोई अन्य कर शामिल है जो इस अनुबंध के अंतर्गत परिसंपत्तियों, प्रतिभूतियों, ऋण या किसी अन्य शुल्क या लाभ के अनुरूप लागू है या किसी भविष्य की तिथि को लागू हो सकता है और इसमें इसके संबंध में कोई भी ब्याज (अतिदेय ब्याज), अधिभार, जुर्माना या जुर्माना शामिल है जो देय हो सकता है।

1.2 इस अनुबंध में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

a) एकवचन को दर्शाने वाले शब्दों में बहुवचन भी शामिल होगा और इसके विपरीत;
b) सर्वनाम “वह”, “वह”, “यह” और उनके सजातीय रूपांतरों को परस्पर परिवर्तनशील के रूप में उपयोग किया जाता है और संदर्भ के अनुसार उनकी व्याख्या की जानी चाहिए;
c) शीर्षक और बोल्ड टाइपफेस केवल सुविधा के लिए हैं और व्याख्या के प्रयोजनों के लिए इन्हें अनदेखा किया जाएगा;

d) शब्द “शामिल” या “सहित” के संदर्भ को बिना किसी सीमा के समझा जाएगा;

e) इस समझौते या किसी अन्य समझौते या विलेख या अन्य दस्तावेज के किसी भी पक्ष के संदर्भ में व्यक्ति के मामले में उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और अनुमत समनुदेशिती, कंपनी के मामले में उसके उत्तराधिकारी या अनुमत समनुदेशिती और साझेदारी फर्म के मामले में फर्म के समय-समय पर भागीदार, उनमें से उत्तरजीवी और भागीदारों के उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि और उत्तराधिकारी और हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में उक्त हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य या वर्तमान सदस्य और उनके संबंधित उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, कानूनी प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल होंगे।

f) किसी अनुच्छेद, खंड, पैराग्राफ या अनुसूची का संदर्भ, जब तक कि इसके विपरीत संकेत न दिया गया हो, इस अनुबंध के अनुच्छेद, खंड, पैराग्राफ या अनुसूची का संदर्भ है और इस अनुबंध से जुड़ी या जुड़ी जा सकने वाली सभी अनुसूचियां इसका अभिन्न अंग होंगी।

g) "संशोधन" में अनुपूरक, परिवर्तन, नवप्रवर्तन, प्रतिस्थापन या पुनः अधिनियमन शामिल है और "संशोधित" का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

h) "भार" में बंधक, प्रभार, पट्टा, किरायेदारी, अवकाश और लाइसेंस, प्रतिज्ञा, दृष्टिबंधक, सुरक्षा हित या किसी भी प्रकार का ग्रहणाधिकार शामिल है।

1.3 यदि नीचे लिखित अनुसूची ए की मद सं. IV में एक से अधिक उधारकर्ता का उल्लेख है, तो जहां कहीं भी संदर्भ की आवश्यकता हो, शब्द "उधारकर्ता" को "उधारकर्ता" के रूप में समझा जाएगा और प्रत्येक संबंधित वाक्य के व्याकरण और निर्माण को उचित रूप से संशोधित माना जाएगा ताकि एक से अधिक उधारकर्ता को इंगित किया जा सके। इसी तरह, यदि एक से अधिक गारंटर हैं, जहां कहीं भी संदर्भ की आवश्यकता हो, शब्द "गारंटर" को "गारंटर" के रूप में समझा जाएगा और प्रत्येक संबंधित वाक्य के व्याकरण और निर्माण को उचित रूप से संशोधित माना जाएगा ताकि एक से अधिक गारंटर/गारंटियों को इंगित किया जा सके;

1.4 जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों को इसमें परिभाषित नहीं किया गया है, उनका सामान्य खंड अधिनियम, 1897 के अनुसार वही अर्थ और व्याख्या होगी।

1.5 पुल्लिंग के संदर्भ में स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के संदर्भ शामिल हैं और इसके विपरीत।

अनुच्छेद 2
ऋण राशि, ब्याज आदि

2.1 ऋण की राशि

उधारकर्ता बैंक से उधार लेने के लिए सहमत है और बैंक इस अनुबंध में उल्लिखित शर्तों के अधीन उधारकर्ता को अनुसूची ए की मद संख्या V में उल्लिखित राशि का ऋण देने के लिए सहमत है।

2.2 ब्याज

बैंक और उधारकर्ता के बीच आपसी सहमति के अनुसार, उधारकर्ता ने ब्याज की निश्चित दर या अस्थिर ब्याज दर का चयन किया है। उधारकर्ता द्वारा अपनी इस पसंद को नीचे लिखे अनुसूची ए के मद संख्या VI के अंतर्गत सही विकल्प पर टिक करके विशेष रूप से दर्शाया गया है।

(a) यदि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत होते हैं कि उधारकर्ता बैंक द्वारा प्रस्तावित निश्चित ब्याज दर का हकदार होगा, तो ऋण पर लागू ब्याज दर और ऐसी निश्चित ब्याज दर पर लागू शर्तें, इस समझौते में बताई गई सामान्य शर्तों के अतिरिक्त, अनुसूची-बी में बताई गई हैं।

उपरोक्त के बावजूद, मुद्रा बाजार की स्थितियों में किसी भी असाधारण या अप्रत्याशित परिवर्तन की स्थिति में, बैंक अपने विवेक से उधारकर्ता को सूचित करते हुए उक्त निश्चित ब्याज दर को बदलने का हकदार होगा। बैंक यह निर्धारित करने वाला एकमात्र न्यायाधीश होगा कि ऐसी स्थितियाँ मौजूद हैं या नहीं।

(b) यदि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत होते हैं कि उधारकर्ता बैंक द्वारा प्रस्तावित फ्लोटिंग ब्याज दर का हकदार होगा, तो ऋण पर लागू ब्याज दर और ऐसी फ्लोटिंग ब्याज दर पर लागू शर्तें, इस समझौते में बताई गई सामान्य शर्तों के अतिरिक्त, अनुसूची-सी में बताई गई हैं।

(c) उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि बैंक किसी भी समय या समय-समय पर ऋण के संबंध में ब्याज दर को बदलने या भिन्न करने का हकदार होगा, जो बैंक की न्यूनतम उधार दर/प्रसार दर/आधार दर/बेंच मार्क प्राइम उधार दर में परिवर्तन या समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों या अग्रिमों पर बैंक की नीति या समय-समय पर बैंक के साथ उधारकर्ता की क्रेडिट रेटिंग पर निर्भर करेगा और उधारकर्ता ब्याज में परिवर्तन/संशोधन पर नोटिस की आवश्यकता को माफ करता है और ब्याज दर में परिवर्तन/संशोधन पर बैंक के नोटिस बोर्ड या बैंक की वेबसाइट पर एक नोटिस उधारकर्ता को पर्याप्त नोटिस माना जाएगा और ऐसा ब्याज देय होगा चाहे ऋण खाते में डेबिट किया जाए या नहीं।

(d) यदि लागू हो तो उधारकर्ता को पीएमआईआई का भुगतान भी करना होगा।

(e) ऋणकर्ता इस बात से सहमत है और पुष्टि करता है कि ऋण की चुकौती और ब्याज के भुगतान के लिए ऋणकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली उपयुक्त मासिक किस्त की गणना करने के लिए बैंक ने एक उचित और उचित आधार अपनाया है और ऋणकर्ता पूर्वोक्त अनुसार गणना की गई मासिक किस्त का भुगतान करने के लिए सहमत है।

(f) उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि ब्याज दर में किसी भी समायोजन पर उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली मासिक किस्तों की संख्या में वृद्धि या कमी के बारे में बैंक द्वारा कोई सूचना नहीं दी जाएगी। हालाँकि, उधारकर्ता को पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान ब्याज दर में लागू/लागू समायोजन के बारे में वार्षिक आधार पर, वित्तीय वर्ष के अंत से बैंक द्वारा निर्धारित समय के भीतर सूचित किया जाएगा।

(g) बकाया राशि के भुगतान में ऋणकर्ता द्वारा कोई चूक या यहाँ निहित किसी अन्य नियम व शर्तों का उल्लंघन, ऋणकर्ता से नीचे अनुसूची ए के मद संख्या VII में उल्लिखित दर पर संपूर्ण बकाया राशि (जहाँ बकाया है और भुगतान नहीं किया गया है) पर वैकल्पिक ब्याज वसूला जाएगा, जो कि संबंधित देय तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान / चूक के सुधार की तिथि तक लगाया जाएगा। यह बैंक के अन्य अधिकारों और उपायों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना होगा। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वैकल्पिक ब्याज का भुगतान करने का दायित्व ऋणकर्ता को यह दावा करने का अधिकार नहीं देगा कि नीचे उल्लिखित चूक की कोई घटना नहीं हुई है।

2.3 ऋण वितरण का विवरण / ऋण का उद्देश्य

(a) बैंक ऋण को एकमुश्त या उपयुक्त किस्तों में वितरित करेगा, जैसा कि बैंक द्वारा तय किया जा सकता है, बशर्ते कि अनुच्छेद 4 में निर्धारित शर्तों को पूरा किया जाए। इस संबंध में बैंक का उपरोक्त निर्णय अंतिम होगा और उधारकर्ता के लिए बाध्यकारी होगा।

(b) ऋण का उपयोग केवल अनुसूची डी में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

2.4 कर एवं अन्य शुल्क एवं व्यय

उधारकर्ता और/या सह-उधारकर्ता तुरंत (और किसी भी स्थिति में बैंक द्वारा ऐसा करने के लिए आवश्यक होने के 7 दिनों के भीतर) भुगतान करने के लिए सहमत होते हैं और वचनबद्ध होते हैं (क) सभी वर्तमान और भविष्य के करों का भुगतान करने के लिए जिसमें इस समझौते के संबंध में कोई भी शुल्क, खर्च और अन्य प्रभार शामिल हो सकते हैं, परिसंपत्ति(यों) और/या प्रतिभूतियों, ऋण, या इस समझौते के तहत कोई भी या कोई अन्य प्रभार या लाभ जिसमें ब्याज (अतिदेय ब्याज सहित) जुर्माना शामिल है और (ख) इस समझौते और/या किसी भी सुरक्षा के संबंध में बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट सभी अन्य प्रभार, लागत और व्यय (बैंक द्वारा वहन या भुगतान की गई सभी लागतों और खर्चों सहित) जिसमें किसी भी परिसंपत्ति(यों) और/या किसी भी सुरक्षा के पुनर्ग्रहण और/या बिक्री और/या ऋण शेष या उसके किसी हिस्से की वसूली के लिए किए गए व्यय शामिल हैं। यदि बैंक अपने विवेकानुसार या किसी वैधानिक आवश्यकता के अनुसार ऐसा भुगतान करता है, तो ऋणदाता और/या सह-ऋणदाता बैंक द्वारा सूचित किए जाने के 7 दिनों के भीतर ऋण के संबंध में अनुसूची/अनुसूची में उल्लिखित दर पर ब्याज सहित भुगतान करने का वचन देते हैं। विशेष रूप से, ऋणदाता और/या सह-ऋणदाता अनुबंध अनुसूची में सूचीबद्ध शुल्क, लागत और व्यय का भुगतान करने की तिथि से 7 दिनों के भीतर सहमत होते हैं और वचन देते हैं।

इस समझौते के आगेउधारकर्ता और सह-उधारकर्ता बैंक द्वारा लागू संशोधित या किसी भी नए शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत हैं।
पक्षों के बीच इस बात पर सहमति हुई है कि ऋणकर्ता और सह-ऋणकर्ता द्वारा चूक की स्थिति में, गारंटर को इस समझौते के संबंध में उत्पन्न होने वाली परिसंपत्तियों, प्रतिभूतियों, ऋण या किसी अन्य शुल्क पर कोई कर चुकाने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए, जो अन्यथा ऋणकर्ता और सह-ऋणकर्ता द्वारा देय होता।

2.5 अदायगी

a) बैंक, समझौते के अनुच्छेद 4 के प्रावधानों के अधीन, बिल्डर को या डेवलपर को या सोसायटी को या विक्रेता को या किसी तीसरे पक्ष या व्यक्ति के पक्ष में सीधे ऋण वितरित कर सकता है, जैसा कि बैंक द्वारा निर्दिष्ट फॉर्म में उधारकर्ता द्वारा या बैंक के एकमात्र विवेक पर उधारकर्ता द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। इसे उधारकर्ता को किया गया संवितरण माना जाएगा। इस समझौते के निष्पादन के समय उधारकर्ता द्वारा अनुरोधित संवितरण अनुसूची अनुसूची ई के रूप में संलग्न है। उधारकर्ता इसके द्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से बैंक को यहां संलग्न अनुसूची ई के अनुसार ऋण वितरित करने के लिए अधिकृत करता है, जब तक कि उधारकर्ता बैंक को एक पत्र लिखकर संवितरण रोकने के लिए विशिष्ट अनुरोध नहीं करता है, जिसमें बैंक को अनुसूची ई में प्रदान की गई किसी भी निर्धारित संवितरण तिथि/घटना से कम से कम 7(सात) दिन पहले ऐसा करने के अपने इरादे से सूचित किया गया हो। उपर्युक्त के बावजूद, बैंक को किसी भी समय ऋण के आगे वितरण को रोकने का अधिकार होगा यदि बैंक की राय है कि परिस्थितियों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति या मुनाफे या व्यवसाय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और उधारकर्ता के व्यवसाय में कोई भौतिक परिवर्तन हुआ है। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक उधारकर्ता के अनुरोध पर, अपने विवेकाधिकार से, अनुसूची ई में दिए गए संवितरण की अनुसूची में संशोधन कर सकता है, जैसा कि बैंक द्वारा संवितरण किए जाने की अवधि को बढ़ाकर या घटाकर किया जा सकता है, जो कि उधारकर्ता द्वारा बैंक द्वारा निर्धारित अतिरिक्त शर्तों को पूरा करने के अधीन है। यदि अनुसूची एक घटना आधारित अनुसूची है, तो बैंक ऐसी घटनाओं के होने की पुष्टि करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। बैंक, बिल्डर, ठेकेदार, डेवलपर या अन्य व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, से ऐसी घटना होने के प्रमाणीकरण/सूचना के आधार पर इस समझौते के तहत धन का संवितरण करने का हकदार होगा।

b) उधारकर्ता इस बात को स्वीकार करता है और सहमत है कि बैंक द्वारा बिल्डरों, डेवलपर्स या ठेकेदारों के साथ किए गए व्यवस्था के अनुसार, बैंक द्वारा बिल्डरों, डेवलपर्स या ठेकेदारों को किए जाने वाले भुगतान की वास्तविक तिथि भिन्न हो सकती है और/या बैंक को ऐसे व्यवस्था के अनुसार इस समझौते के तहत ब्याज के अतिरिक्त ऐसे बिल्डरों, डेवलपर्स या अनुबंधों से कुछ अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो सकते हैं। उधारकर्ता एतद्द्वारा इसे स्वीकार करता है और इससे सहमत है। हालांकि, उपरोक्त के बावजूद, उधारकर्ता इस बात की पुष्टि करता है कि संवितरण अनुरोध तिथि वह तिथि होगी, जिस तिथि से ऋण पर ब्याज बैंक के पक्ष में अर्जित होना शुरू होगा और संवितरित किए जाने के लिए अनुरोधित राशि बकाया हो जाएगी और उधारकर्ता द्वारा बैंक को देय होगी। उधारकर्ता आगे यह भी पुष्टि करता है कि यदि उधारकर्ता संवितरण लेने में विफल रहता है या देरी करता है, तो ऋण प्रस्तावित संवितरण की तिथि को संवितरित माना जाएगा और उधारकर्ता प्रस्तावित संवितरण की तिथि से उस पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

c) बैंक आंशिक या पूर्ण संवितरण/रिलीज़ चेक सीधे उस वित्तपोषक को भी दे सकता है जिसके साथ वित्तीय अदला-बदली (यदि कोई हो) की जा रही है। इन प्रस्तुतियों के तहत इसे ही संवितरण माना जाएगा।

d) ऋण का संवितरण उधारकर्ता को उस तिथि को किया गया माना जाएगा जिस दिन उधारकर्ता ऐसे संवितरण का अनुरोध करता है या जिस तिथि को उधारकर्ता चेक तैयार करना चाहता है या वास्तविक संवितरण की तिथि को, जो भी पहले हो। जिस तिथि को संवितरण पूर्वोक्त रूप से किया गया माना जाता है उसे "संवितरण तिथि" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

2.6 ऋण अवधि, मासिक किस्त आदि में परिवर्तन।

a) यदि संवितरण पहले संवितरण की तिथि से 18 महीने की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है या यदि उधारकर्ता ने ऋण के पूर्ण संवितरण से पहले इस अनुबंध में वर्णित किसी प्रकार की चूक की है या यदि उधारकर्ता ने बैंक से लिखित रूप में स्वीकृत राशि को ऐसे अनुरोध की तिथि तक बैंक द्वारा संवितरित राशि तक कम करने का अनुरोध किया है, तो इस अनुबंध के तहत या अन्यथा इक्विटी या कानून में बैंक के अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी तिथि तक उधारकर्ता को संवितरित की गई कुल राशि, बैंक के विवेक पर, बिना किसी पूर्व सूचना के, ऋण राशि मानी जाएगी और बैंक को कोई और राशि अग्रिम देने की आवश्यकता नहीं होगी और ईएमआई/मासिक किस्त तुरंत शुरू हो जाएगी। ऐसे मामले में, अनुसूची ए के आइटम नंबर वी में उल्लिखित ऋण राशि के बावजूद, अब तक अग्रिम राशि इस अनुबंध के प्रयोजन के लिए ऋण मानी जाएगी।

b) किसी भी मामले में प्रसंस्करण शुल्क या प्रशासनिक शुल्क का कोई भी हिस्सा वापस नहीं किया जाएगा या भविष्य में उधारकर्ता द्वारा बैंक को देय किसी अन्य शुल्क या फीस के लिए समायोजित नहीं किया जाएगा।

c) यदि उधारकर्ता अपनी ब्याज दर में परिवर्तन करने का इच्छुक हो, चाहे वह किसी विशेष प्रकार से स्थानांतरण के परिणामस्वरूप हो
उधारकर्ता और बैंक द्वारा पहले से सहमत ब्याज दर को किसी अन्य प्रकार/ब्याज दर या अन्य प्रकार की ब्याज दरों के संयोजन में परिवर्तित करने के लिए, उधारकर्ता ऐसा कर सकता है यदि बैंक द्वारा उस समय अनुमति दी जाती है और ऐसे पूरक दस्तावेजों के निष्पादन पर जैसा कि बैंक द्वारा आवश्यक हो सकता है और समय-समय पर लागू रूपांतरण शुल्क के भुगतान पर, जिसे बकाया देयताओं के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जो रूपांतरण शुल्क उधारकर्ता को सूचना के तहत समय-समय पर बैंक द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

d) इसमें निहित किसी भी बात के बावजूद, बैंक को किसी भी समय या समय-समय पर, मासिक किस्तों, अवधि या ऋण राशि की समीक्षा और पुनर्निर्धारण करने का अधिकार होगा, इस संबंध में उधारकर्ता द्वारा कोई आवेदन किए जाने के साथ या उसके बिना, उस तरीके से और उस सीमा तक जैसा कि बैंक अपने विवेक से उधारकर्ता द्वारा किए गए किसी आंशिक भुगतान या उधारकर्ता द्वारा ब्याज की गणना की सहमत पद्धति के तहत देय ब्याज के प्रतिशत में परिवर्तन या एक प्रकार/ब्याज दर से दूसरे प्रकार में रूपांतरण के कारण आवश्यक परिवर्तनों के कारण तय कर सकता है। बशर्ते कि यदि ऐसी समीक्षा/पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप ऋण की मूल अवधि को बढ़ाने की आवश्यकता होती है, तो ऐसा केवल अधिकतम अवधि के अप्रयुक्त हिस्से की सीमा तक ही किया जाएगा। ऐसी स्थिति में उधारकर्ता ऋण या उसकी बकाया राशि को संशोधित अनुसूचियों के अनुसार चुकाएगा जैसा कि बैंक अपने विवेक से निर्धारित कर सकता है और उधारकर्ता को लिखित रूप में सूचित कर सकता है। जहां ऐसे परिवर्तन या पुनर्निर्धारण में निम्नलिखित में परिवर्तन शामिल हो:

i) मासिक किस्तों के भुगतान की तिथि; या
ii) ब्याज, मूलधन या मासिक किस्तों की राशि; या
iii) उसकी संख्या; या
iv) मासिक किस्त ब्याज भुगतान को पूर्ण रूप से कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है; या
v) मासिक किस्त के परिणामस्वरूप ऋण की अवधि उधारकर्ता(ओं) की सेवानिवृत्ति आयु से अधिक हो जाती है, जैसा भी लागू हो।
vi) किसी अन्य कारण से मासिक किस्त में परिवर्तन होता है।

उधारकर्ता इस बात से सहमत है और वचनबद्ध है कि वह तत्काल नए पोस्ट डेटेड चेक, नए स्थायी निर्देश (एसआई) या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा (ईसीएस) के लिए नए निर्देश जारी करेगा, जैसा भी मामला हो। उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि यदि मासिक किस्त की समीक्षा/पुनर्निर्धारण बैंक द्वारा किया जाता है, तो उधारकर्ता बैंक को पुनर्निर्धारण शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर होगा।

e) ऋणी द्वारा बैंक को भुगतान किए गए/देय सभी शुल्क वापस नहीं किए जाएंगे और ऋणी यह वचन देता है कि वह किसी भी परिस्थिति में बैंक से अपने द्वारा भुगतान किए गए किसी भी शुल्क की वापसी, समायोजन या सेट ऑफ का दावा नहीं करेगा।

f) बैंक अपने विवेकाधिकार से किस्तों में परिवर्तन/पुनर्निर्धारण कर सकता है और यदि उचित समझा जाए तो एक नया पुनर्भुगतान कार्यक्रम निर्धारित कर सकता है, जिसमें स्थगन अवधि के दौरान ब्याज और/या उक्त ऋण की चलन के किसी भी चरण में अतिदेय किस्तों को किस्त में शामिल किया जाएगा। उधारकर्ता इस बात से भी सहमत है कि ऊपर बताई गई सभी समान मासिक किस्तों के भुगतान के बाद भी, यदि किस्त के विलंबित भुगतान, स्थगन अवधि के दौरान अर्जित ब्याज या खाते में किए गए किसी अन्य डेबिट या किसी अन्य वैध कारण के कारण मूलधन या ब्याज के रूप में उक्त ऋण खाते में कोई राशि बकाया रह जाती है तो उधारकर्ता को उक्त राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा और उक्त ऋण खाते को समाप्त करना होगा। उधारकर्ता यह समझता है कि पुनर्भुगतान किस्तों को समय-समय पर बैंक के नियमों के अनुसार आंशिक रूप से ब्याज और आंशिक रूप से मूलधन में समायोजित किया जाएगा।

2.7 मासिक किश्तों द्वारा भुगतान

जहाँ ऋण एकल संवितरण द्वारा वितरित किया जाता है, वहाँ ऋण का पुनर्भुगतान सहमत मासिक किस्त अनुसूची के अनुसार किया जाएगा। जहाँ ऋण एक से अधिक किस्तों में वितरित किया जाता है, वहाँ उधारकर्ता बैंक के साथ आपसी सहमति से, निम्नलिखित तीन विकल्पों में से एक चुन सकता है। इस तरह की सहमति को नीचे लिखे गए अनुसूची ए के मद संख्या XIV के तहत सही विकल्प पर टिक करके विशेष रूप से दर्शाया जाएगा। उधारकर्ता नीचे उल्लिखित तीन विकल्पों में से प्रत्येक को समझने की पुष्टि करता है और प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन करने के बाद अपनी सहमति दर्शाता है।

(a) विकल्प 1 – पूर्व-मासिक किस्त ब्याज (पीएमआईआई)

इस विकल्प 1 के तहत मासिक किस्तें तभी शुरू होंगी जब बैंक द्वारा उधारकर्ता को पूरा ऋण वितरित कर दिया गया हो। यदि पूरा ऋण केवल एक किस्त में वितरित किया जाता है, तो इस विकल्प के अनुसार, मासिक किस्तें उसी आधार पर शुरू होंगी। हालाँकि, यदि ऋण किस्तों में वितरित किया जाता है, तो ऐसी तिथि से पहले बैंक उधारकर्ता से इस समझौते में दिए गए तरीके से केवल मासिक किस्त ब्याज ही वसूलेगा। इस समझौते के निष्पादन के समय पार्टियों द्वारा सहमत पुनर्भुगतान अनुसूची को इसके साथ संलग्न किया गया है और इसे अनुसूची बी या सी के रूप में चिह्नित किया गया है, जैसा भी मामला हो।

(b) विकल्प 2 – पूर्ण ऋण राशि पर मासिक किस्त

इस विकल्प 2 के तहत, यह माना जाएगा कि संवितरण पहले संवितरण की तिथि पर ही हुआ होगा, हालांकि वास्तविक संवितरण बाद की तिथियों पर किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, संपूर्ण ऋण राशि पर मासिक किस्तें उस तिथि से शुरू होंगी और उधारकर्ता द्वारा देय होंगी जिस दिन बैंक द्वारा पहला संवितरण किया जाता है। मासिक किस्तों की गणना बैंक द्वारा इस आधार पर की जाएगी कि संपूर्ण ऋण राशि वितरित कर दी गई है और मूलधन और ब्याज के लिए धन को इस प्रकार विनियोजित किया जाएगा जैसे कि संपूर्ण ऋण राशि वितरित की गई हो। इस समझौते के निष्पादन के समय पक्षों द्वारा सहमत पुनर्भुगतान अनुसूची को इसके साथ संलग्न किया गया है और इसे अनुसूची बी या सी के रूप में चिह्नित किया गया है, जैसा भी मामला हो। उधारकर्ता स्वीकार करता है कि उधारकर्ता द्वारा देय मासिक किस्तों की गणना बैंक द्वारा इस आधार पर की गई है कि संपूर्ण ऋण राशि वितरित की गई है, भले ही बैंक और उधारकर्ता द्वारा ऋण राशि का केवल एक हिस्सा ही वितरित किया गया हो।

इसके द्वारा बिना किसी विवाद के इसे चुकाने का वचन देता है। उधारकर्ता समझता है कि यदि ऋण की पूरी राशि वितरित नहीं की जाती है, तो उधारकर्ता ब्याज और मूलधन के लिए विनियोग के संदर्भ में किए गए भुगतानों की किसी भी पुनर्गणना का हकदार नहीं होगा। यदि उधारकर्ता के अनुरोध पर या किसी अन्य कारण से बैंक द्वारा पूरी ऋण राशि वितरित नहीं की जाती है, तो बैंक केवल ऋण की अवधि को पुनर्निर्धारित करके उधारकर्ता के पुनर्भुगतान कार्यक्रम में समायोजन करेगा। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि मासिक किस्तें, किसी भी ऐसे पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप, अपरिवर्तित रहेंगी (अंतिम मासिक किस्त को छोड़कर)।

(c) विकल्प 3 – वितरित राशि पर मासिक किस्त इस विकल्प 3 के तहत, या तो

A. मासिक किस्तें बैंक द्वारा पहली बार भुगतान किए जाने की तिथि से उधारकर्ता द्वारा शुरू और देय होंगी। मासिक किस्तें उतनी ही होंगी जितनी कि पूरी अवधि के लिए संपूर्ण ऋण राशि वितरित किए जाने पर देय होती। हालांकि, उधारकर्ता द्वारा बैंक को देय मासिक किस्तों की संख्या केवल उतनी ही होगी जितनी बैंक द्वारा वास्तव में वितरित की गई राशियों के पुनर्भुगतान के लिए पर्याप्त होगी। इसलिए मासिक किस्तों को वितरित की गई वास्तविक राशि के आधार पर मूलधन और ब्याज के लिए विनियोजित किया जाएगा। इस समझौते के निष्पादन के समय पार्टियों द्वारा सहमत पुनर्भुगतान अनुसूची इस अनुबंध में संलग्न है और अनुसूची बी या सी के रूप में चिह्नित है, जैसा भी मामला हो। जब बैंक उधारकर्ता को आगे और भुगतान करता है, तो बैंक उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली मासिक किस्तों की संख्या बढ़ाकर वितरित की गई ऐसी अतिरिक्त धनराशि के परिशोधन के लिए प्रावधान करेगा, जबकि प्रत्येक मासिक किस्त की राशि अपरिवर्तित रहेगी (अंतिम मासिक किस्त को छोड़कर); या।

B. मासिक किस्तें उस तिथि से शुरू होंगी और उधारकर्ता द्वारा देय होंगी जिस दिन बैंक द्वारा पहला संवितरण किया गया है। मासिक किस्तों की गणना बैंक द्वारा पूरे कार्यकाल के लिए किए गए वास्तविक संवितरण के आधार पर की जाएगी। उसके बाद प्रत्येक बाद के संवितरण के बाद, मासिक किस्त की तदनुसार पुनर्गणना की जाएगी। तदनुसार, पुनर्भुगतान अनुसूची को समय-समय पर बैंक द्वारा संशोधित किया जाएगा।

2.8 भुगतान का तरीका, समय, स्थान आदि।

a) उधारकर्ता को इस अनुबंध के अंतर्गत देय पीएमआईआई (यदि लागू हो), मासिक किस्त और अन्य सभी राशियों का भुगतान बिना किसी आपत्ति, विरोध या चूक के तथा बिना किसी सेट-ऑफ या प्रतिदावे के, संबंधित तारीखों पर शीघ्रतापूर्वक, पूर्ण रूप से करना होगा।

b) भुगतान चेक, बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, स्थायी निर्देश, ईसीएस या बैंक द्वारा स्वीकृत किसी अन्य तरीके से किया जा सकता है और भुगतान इस तरह से किया जाएगा कि बैंक द्वारा देय तिथियों पर या उससे पहले भुगतान प्राप्त हो जाए। जिस बैंक खाते से पुनर्भुगतान किया जा रहा है, उसमें पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित करना उधारकर्ता की जिम्मेदारी होगी।

c) यदि बैंक ऐसी अपेक्षा करता है, तो उधारकर्ता बैंक को ऐसे चेक उपलब्ध कराएगा, जिनकी बैंक को आवश्यकता हो, जिसमें परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 20 के अंतर्गत अपूर्ण लिखत भी शामिल हैं।

d) बैंक द्वारा नियुक्त किसी भी प्रत्यक्ष विपणन एजेंट (डीएमए), प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट (डीएसए) को नकद भुगतान या उनके नाम पर कोई भुगतान नहीं किया जाएगा और यदि कोई भुगतान किया जाता है, तो बैंक उसका उचित हिसाब लेने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

e) बैंक के विवेकानुसार, उधारकर्ता उस बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थायी अनुदेश जारी कर सकता है जिसमें उधारकर्ता का खाता है, कि प्रत्येक माह उधारकर्ता के खाते से डेबिट किया जाए तथा बैंक के निर्देशानुसार मासिक किस्त/देय भुगतान के मूल्य के लिए खाते में क्रेडिट किया जाए।

f) बैंक के विवेक पर और यदि उधारकर्ता का नियोक्ता लिखित में सहमत हो, तो उधारकर्ता अपने नियोक्ता को अपने वेतन से भुगतान काटने और बैंक को भुगतान करने के निर्देश और अधिकृत करके इस समझौते के तहत देय और भुगतान योग्य राशि का भुगतान सीधे अपने वेतन से कर सकता है। ऐसे मामले में, उधारकर्ता ऐसे दस्तावेजों को निष्पादित और प्रदान करेगा जो समय-समय पर बैंक द्वारा आवश्यक हो सकते हैं। उधारकर्ता नियोक्ता से देरी से भुगतान के लिए अनुसूची ए के आइटम नंबर VII में प्रतिस्थापित ब्याज दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए सहमत है, यदि कोई हो, देरी के लिए किसी भी परिस्थिति पर ध्यान दिए बिना। बैंक किसी भी समय उधारकर्ता और नियोक्ता को लिखित नोटिस देकर भुगतान के लिए ऐसी व्यवस्था को बंद करने का हकदार होगा, जिस स्थिति में उधारकर्ता भविष्य की मासिक किस्तों की व्यवस्था करेगा या बैंक द्वारा आवश्यक तरीके से ऐसी सूचना प्राप्त होने से 7 दिनों के भीतर पीडीसी जमा करेगा।

g) यदि उधारकर्ता बैंक के किसी अन्य कार्यालय या शाखा में देय राशि का भुगतान करता है, जिसे बैंक अपने विवेक पर स्वीकार कर सकता है, तो उधारकर्ता को तुरंत बैंक की संबंधित शाखा को लिखित रूप में सूचित करना होगा।

h) उपर्युक्त किसी भी तरीके से देय राशि की वसूली होने पर ही बैंक उधारकर्ता के खाते में राशि जमा करेगा।

i) यदि उधारकर्ता द्वारा कोई राशि चुकाई जाती है या उधारकर्ता से कोई राशि प्राप्त/वसूली/वसूली की जाती है, तो उसे उधारकर्ता को किसी पूर्व सूचना दिए बिना निम्नलिखित क्रम में समायोजित/विनियोजित किया जाएगा:

i. लागत, प्रभार, खर्च, आकस्मिक प्रभार और अन्य धनराशि जो इस समझौते के संबंध में बैंक द्वारा व्यय की गई हो।
ii. बैंक के प्रति उधारकर्ता के अन्य ऋण के प्रति।
iii. इस अनुबंध के अंतर्गत चूक की गई राशि पर स्थानापन्न ब्याज, और/या परिसमाप्त क्षतिपूर्ति।

iv. इस समझौते के अंतर्गत पूर्वभुगतान प्रभार, प्रतिबद्धता प्रभार और फीस।
v. पीएमआईआई (यदि लागू हो)
vi. मासिक किस्त
vii. ब्याज
viii. इस समझौते के अंतर्गत ऋण की मूल राशि।

j) उपरोक्त के बावजूद, बैंक इस समझौते के अस्तित्व के दौरान किसी भी समय और अपने विवेकानुसार, इस समझौते के तहत उधारकर्ता से सभी भुगतान प्राप्त करने के लिए ऐसे प्रारूप में एस्क्रो व्यवस्था कर सकता है, जैसा कि बैंक उचित समझे। उधारकर्ता इस बात से सहमत है और वचन देता है कि वह इस संबंध में बैंक से सूचना प्राप्त होने पर, ऐसे समझौते, व्यवस्था और अन्य दस्तावेज करेगा, जिनकी बैंक को उपरोक्त उद्देश्य के लिए आवश्यकता हो सकती है और उसके बाद, जब तक कि उसे बैंक से कोई विपरीत निर्देश प्राप्त न हो, वह इस समझौते के तहत बैंक को सभी भुगतान ऐसी एस्क्रो व्यवस्था के माध्यम से करेगा।

2.9 ऋण का पूर्व भुगतान

a. इस खंड 2.7 में निहित प्रावधानों के अधीन, उधारकर्ता को ऋण का आंशिक या पूर्ण पूर्व भुगतान करने की अनुमति होगी। बशर्ते कि उधारकर्ता पहले संवितरण की तारीख से अनुसूची ए के मद संख्या XIII (1) में दिए गए लॉक-इन अवधि के दौरान कोई पूर्व भुगतान करने का हकदार नहीं होगा। पूर्व भुगतान की अन्य शर्तें अनुसूची ए के मद संख्या XIII में निहित हैं।
b. पूर्व भुगतान के लिए न्यूनतम और अधिकतम राशि तथा प्रत्येक पूर्व भुगतान के बीच समय अवधि, प्रत्येक ऐसे पूर्व भुगतान के लिए नोटिस और देय शुल्क बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएंगे।
c. यदि उधारकर्ता बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा किए बिना कोई पूर्व भुगतान करता है, तो बैंक उसे उस तरीके से विनियोजित करने का हकदार होगा, जैसा वह उचित समझे और बैंक उधारकर्ता को उसका ऋण केवल नियत तिथि पर ही देगा, उससे पहले नहीं।
d. ऋण का पूर्ण पूर्व भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उधारकर्ता मद संख्या XIII में उल्लिखित शुल्क का भुगतान नहीं कर देता। (5) अनुसूची ए के तहत और इस समझौते के तहत, लॉक-इन अवधि के शेष कार्यकाल के लिए ब्याज राशि के साथ।
e. किसी भी आंशिक या पूर्ण पूर्व भुगतान के लिए, उधारकर्ता को बैंक को लिखित में 15 दिन पहले सूचना देनी होगी।

2.10 प्रतिबद्धता शुल्क

उधारकर्ता को ऋण की अप्रयुक्त स्वीकृत राशि पर अनुसूची-ए के मद संख्या VIII में उल्लिखित दर पर बैंक को एकमुश्त प्रतिबद्धता शुल्क का भुगतान करना होगा। बैंक द्वारा मांगे जाने पर ऐसा भुगतान तुरंत किया जाएगा।

2.11 उधारकर्ता(ओं) की संयुक्त और अनेक देनदारियाँ

जहां ऋण एक से अधिक उधारकर्ताओं को प्रदान किया जाता है, यहां पर किसी भी बात के होते हुए भी, उधारकर्ता(ओं) का मूलधन, ब्याज, अतिरिक्त ब्याज शुल्क और अन्य सभी राशियों के साथ ऋण चुकाने और इस समझौते में निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने का दायित्व संयुक्त और अलग-अलग है।

2.12 पार डिफ़ॉल्ट

उधारकर्ता इस बात से सहमत है, पुष्टि करता है और स्वीकार करता है कि किसी अन्य समझौते या व्यवस्था या गारंटी या सुरक्षा या बैंक या उसकी सहायक कंपनियों/सहबद्धों के साथ उधारकर्ता के अन्य ऋण के तहत उधारकर्ता द्वारा कोई भी चूक इस समझौते के तहत चूक की घटना मानी जाएगी और इसके विपरीत। उक्त राशियों को इस समझौते के तहत सुरक्षा द्वारा सुरक्षित बकाया माना जाएगा और इसके विपरीत।

2.13 चला जाना

ऊपर बताई गई बातों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऋणकर्ता इस बात से स्पष्ट रूप से सहमत और पुष्टि करता है कि ऋणकर्ता द्वारा ऋण या किसी अन्य ऋण/सुविधा के अंतर्गत बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में, किसी सामान्य या समान ग्रहणाधिकार के अतिरिक्त, जिसका बैंक या उसकी कोई सहायक/सहबद्ध कंपनी कानून द्वारा हकदार हो सकती है, बैंक ऋणकर्ता के साथ किसी अन्य समझौते के अंतर्गत अपने किसी विशिष्ट अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपने विवेकानुसार और ऋणकर्ता को कोई नोटिस दिए बिना, ऋणकर्ता के किसी भी खाते (जमा, ऋण, एलआईसी, एनएससी, डीमैट सुरक्षा सहित) में (चाहे अकेले या किसी अन्य के साथ संयुक्त रूप से) बैंक या उसकी किसी सहायक/सहबद्ध कंपनी के पास बकाया राशि के भुगतान के लिए या उसके प्रति जमा राशि में जमा राशि या अन्य राशियों को लगाने के लिए स्वतंत्र होगा। इस समझौते के अंतर्गत बैंक के अधिकार अन्य अधिकारों और उपायों (बिना किसी सीमा के अन्य अधिकार या सेट ऑफ सहित) के अतिरिक्त हैं, जो बैंक के पास हो सकते हैं।
यदि ऋणी सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु या अन्य किसी कारण से नियोक्ता की सेवा में नहीं रह जाता है, तो बैंक के लिए यह वैध होगा कि वह ऋणी के नियोक्ता से मांग करे कि वह इन ऋणों के अंतर्गत आने वाले ऋण बकायों के परिसमापन के लिए ऋणी को वेतन/बोनस/ग्रेच्युटी/भविष्य निधि या अन्य सेवांत लाभ या नियोक्ता द्वारा देय कोई अन्य धनराशि बैंक को उपलब्ध कराए।

2.14 सहमतिविज्ञापन प्रकटीकरण

a. उधारकर्ता बैंक को समय-समय पर ऋण से संबंधित किसी भी जानकारी को बैंक की किसी भी मूल/सहायक सहयोगी/सहयोगी इकाई और बैंक द्वारा नियुक्त तीसरे पक्ष को सेवाओं और उत्पादों के विपणन जैसे उद्देश्यों के लिए प्रकट करने के लिए अधिकृत करता है।
b. उधारकर्ता यह समझता है कि मुझे/हमें ऋण/अग्रिम या अन्य निधि या गैर-निधि आधारित सुविधा प्रदान करने से संबंधित पूर्व शर्त के रूप में बैंक को उसके/उसके/उनके द्वारा ली गई/ली जाने वाली ऋण सुविधा से संबंधित जानकारी और डेटा तथा उसके निर्वहन में उसके/उसके/उनके द्वारा की गई किसी चूक के बारे में बैंक द्वारा प्रकटीकरण के लिए उसकी/उसकी/उनकी सहमति की आवश्यकता है।

c. तदनुसार, ऋणी इस बात से सहमत है और बैंक द्वारा ऐसी सभी या किसी भी जानकारी के प्रकटीकरण के लिए सहमति देता है।
   I. उनसे संबंधित सूचना और डेटा
   II. उसके द्वारा ली गई/ली जाने वाली किसी भी ऋण सुविधा से संबंधित जानकारी या डेटा और
   III. यदि उनके द्वारा कोई चूक की गई हो और उनके दायित्व का निर्वहन
d. जैसा कि बैंक उचित और आवश्यक समझे, क्रेडिट सूचना ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और आरबीआई द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य एजेंसी को जानकारी का खुलासा और प्रस्तुत करना।
e. उधारकर्ता यह घोषणा करता है कि उसके द्वारा बैंक को दी गई जानकारी और डेटा सत्य और सही है
f. उधारकर्ता यह वचन देता है कि
   I. क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और इस प्रकार प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी बैंक द्वारा प्रकट की गई उक्त सूचना और डेटा का उपयोग, प्रक्रिया, इस प्रकार कर सकती है जैसा वे उचित समझें और
   II. क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और इस प्रकार प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी, उनके द्वारा तैयार की गई संसाधित जानकारी और डेटा या उसके उत्पाद को बैंक/वित्तीय संस्थान और अन्य ऋणदाताओं या पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को विचारार्थ प्रस्तुत कर सकती है, जैसा कि इस संबंध में आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
g. बंधककर्ता/उधारकर्ता इसके द्वारा आगे यह भी घोषणा करता है कि बैंक के पक्ष में प्रभार/बंधक अनुसूची में वर्णित परिसंपत्ति/संपत्ति पर प्रथम और अनन्य प्रभार के रूप में है। उधारकर्ता/बंधककर्ता यह पुष्टि करता है कि प्रतिभूति पर कोई पूर्व प्रभार/ग्रहणाधिकार नहीं है और यह किसी भी प्रकार के भार से मुक्त है। बंधककर्ता/उधारकर्ता इसके द्वारा यह घोषणा करता है कि इस प्रकार प्राप्त किए गए या लिए जाने वाले ऋण की राशि का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए ऋण लिया गया है या लिया जाना है।
h. बंधककर्ता/उधारकर्ता ने आगे यह भी घोषणा की है कि बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना बंधक के लिए प्रस्तुत की गई प्रतिभूति में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं किया जाएगा।

2.15 बैंक द्वारा ऋण वापस लेना

उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि बैंक किसी भी समय, अपने विवेक से, उधारकर्ता को लिखित में नोटिस देकर ऋण वापस लेने का हकदार होगा। यह निर्दिष्ट किया गया है कि अनुसूची(ओं) में निर्धारित पुनर्भुगतान अनुसूची बैंक के पूरे ऋण को वापस लेने और ऋण के भुगतान की मांग करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है। नोटिस की अवधि, यदि कोई दी गई है, की समाप्ति पर, ऋणदाता द्वारा बैंक को ऋण तुरंत चुकाया जाना चाहिए।

.

2.16 सामान्य

यदि बैंक ने उधारकर्ता को उधारकर्ता द्वारा देय ऋण शेष के लिए कोई रियायत दी है या कोई लाभ दिया है, तो बैंक उधारकर्ता के पास पड़ी किसी भी राशि या प्रतिभूतियों को, जो बाद में समय-समय पर या किसी भी समय बैंक के कब्जे में आ सकती हैं, को बैंक द्वारा उधारकर्ता को दी गई रियायतों/लाभों के विरुद्ध ऐसे ऋण शेष के लिए विनियोजित/समायोजित करने का हकदार होगा।

ऋणकर्ता इस बात से सहमत है और पुष्टि करता है कि समझौते के अनुसार विभिन्न लागतों और प्रभारों के लिए विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत उसके द्वारा देय राशियां हैं और वह जानता है कि उसके द्वारा भुगतान की गई सभी राशियों को बैंक द्वारा ऋणकर्ता द्वारा उन संबंधित लागतों और प्रभारों के लिए निर्णायक भुगतान माना जाएगा।

उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि यदि किसी भी समय यह पता चलता है कि बैंक को कोई ऐसी राशि देय है जिसके लिए बैंक द्वारा गलती से ऋण पारित कर दिया गया था, तो बैंक द्वारा जारी किए गए किसी भी एनओसी आदि के बावजूद, बैंक उधारकर्ता से ऐसी राशि का दावा करने का हकदार होगा और उधारकर्ता बैंक द्वारा उस आशय की मांग पर ऐसा भुगतान करेगा।

उधारकर्ता यह घोषणा करता है और पुष्टि करता है कि उधारकर्ता की मृत्यु की स्थिति में उक्त ऋण की राशि या बकाया शेष राशि तुरंत देय हो जाएगी। ऐसी स्थिति में, बैंक अपने विवेक से उक्त ऋण को वापस ले सकता है या उक्त ऋण को जारी रख सकता है, बशर्ते ऋण खाते में बकाया संपूर्ण राशि उत्तरजीवी/कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा ले ली जाए और उत्तरजीवी/कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा बैंक की संतुष्टि के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए।

अनुच्छेद – 3 सुरक्षा के लिए अनुबंध

3.1

a) उधारकर्ता यह वचन देता है कि ऋण की चुकौती और ब्याज, अतिरिक्त/डिफ़ॉल्ट ब्याज, फीस, प्रतिबद्धता शुल्क, लागत, अन्य शुल्क और खर्चे और इस समझौते के तहत बैंक को देय अन्य सभी राशियों के बकाया को बैंक द्वारा अपने विवेकानुसार निर्धारित सुरक्षा द्वारा सुरक्षित किया जाएगा या सुरक्षित करवाया जाएगा। बैंक को सुरक्षा के प्रकार और उसके निर्माण का स्थान, समय और तरीके को निर्धारित करने का अधिकार होगा। ऐसी सुरक्षा ऋण के वितरण से पहले बनाई जाएगी। बैंक इस समझौते की अवधि के दौरान उधारकर्ता से अतिरिक्त सुरक्षा बनाने की भी मांग कर सकता है और उधारकर्ता बैंक द्वारा मांगे जाने पर ऐसी अतिरिक्त सुरक्षा बनाने या बनाने का वचन देता है। उपरोक्त की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उधारकर्ता ऐसी अतिरिक्त सुरक्षा बनाएगा (ए) बकाया राशि के सुरक्षा के बाजार मूल्य से अधिक होने की स्थिति में या बैंक की मार्जिन आवश्यकताओं के अनुसार अन्यथा; और (ख) बैंक को दी गई किसी प्रतिभूति के नष्ट हो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने, मूल्यह्रास हो जाने या मूल्य में गिरावट आ जाने की स्थिति में या किसी ऐसी प्रतिभूति का शीर्षक बैंक की राय में अस्पष्ट, विक्रय-अयोग्य या भारग्रस्त हो जाने की स्थिति में या किसी भी प्रकार से प्रतिभूति के मूल्य को प्रभावित करने वाली स्थिति में।

b) उधारकर्ता को बकाया राशि के भुगतान के लिए अनुसूची ए की मद संख्या XII में नामित गारंटर/गारंटरों की गारंटी भी प्राप्त करनी होगी।

ऋण की चुकौती, ब्याज का भुगतान, अतिरिक्त ब्याज, शुल्क, प्रतिबद्धता शुल्क, लागत, प्रभार और व्यय तथा इस समझौते के तहत बैंक को देय अन्य सभी राशियाँ।

c) उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता को कानूनी उत्तराधिकारियों और उन संपत्तियों का ब्यौरा घोषित करना होगा, जिन्हें अनुसूची-एफ में निर्धारित वित्तीय सहायता के लिए बैंक को प्रतिभूति के रूप में नहीं दिया गया है।

d) इस करार की अवधि के दौरान, जब भी बैंक द्वारा कहा जाएगा, बैंक के प्रारूप में ऐसे अपरिवर्तनीय पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित करके बैंक को सौंपेगा, जिससे बैंक को बकाया राशि के भुगतान के लिए प्रतिभूति बनाने का अधिकार मिलेगा, जैसा कि उप-खंड (क) में पूर्वोक्त रूप में कहा गया है।

e) ऋणकर्ता बैंक द्वारा अपेक्षित बकाया राशि के भुगतान के लिए बैंक के पक्ष में ऐसे बांड, वचन पत्र निष्पादित करेगा। इसके अलावा ऋणकर्ता ऐसे अन्य दस्तावेज, लिखित दस्तावेज, पावर ऑफ अटॉर्नी और समझौते भी निष्पादित और वितरित करेगा, जिनकी बैंक द्वारा आवश्यकता हो सकती है।

f) ऋणकर्ता को बकाया राशि के पुनर्भुगतान के लिए बैंक द्वारा सूचित की गई राशि और संख्या के बैंक के पक्ष में उत्तरदिनांकित चेक निष्पादित करना होगा।

g) ऋण की चुकौती और ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, शुल्क, प्रतिबद्धता शुल्क, लागत, शुल्क और व्यय तथा इस अनुबंध या इसके किसी परिशिष्ट, पूरक अनुबंध के तहत बैंक को देय अन्य सभी राशियों के भुगतान के लिए बैंक को प्रदान की गई/सौंपी गई किसी भी अतिरिक्त/संपार्श्विक सुरक्षा के तहत अर्जित कोई भी लाभ या राशि, बकाया राशि के लिए इस तरह से जमा की जाएगी, जब तक कि बैंक अन्यथा निर्णय न ले। उधारकर्ता किसी भी ऐसी अतिरिक्त/संपार्श्विक सुरक्षा की परिपक्वता तिथि, उपार्जन तिथि या देय तिथि के बारे में बैंक को 15 दिन पहले लिखित रूप में सूचित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

3.2 सतत सुरक्षा

उधारकर्ता द्वारा बैंक को दी गई सभी प्रतिभूतियां (जो बनाई जा सकती हैं या बनाई जा सकती हैं) और गारंटियां बैंक के लिए निरंतर प्रतिभूति बनी रहेंगी और उधारकर्ता द्वारा मध्यवर्ती भुगतान या उधारकर्ता द्वारा खातों के किसी भी निपटान द्वारा समाप्त नहीं की जाएंगी और वे किसी भी अन्य प्रतिभूति के अतिरिक्त होंगी, न कि उसके विपरीत, जिसे बैंक किसी भी समय देयताओं के संबंध में धारण कर सकता है और वे बैंक को तब तक उपलब्ध रहेंगी, जब तक कि सभी देयताओं का भुगतान नहीं कर दिया जाता है और प्रतिभूतियां बैंक द्वारा स्पष्ट रूप से जारी नहीं कर दी जाती हैं।

अनुच्छेद 4 संवितरण की शर्तें

4.1 इस समझौते के तहत कोई भी संवितरण करने के लिए बैंक का दायित्व निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

(a) उधारकर्ता की ऋण पात्रता: उधारकर्ता बैंक की ऋण पात्रता की आवश्यकता को पूरा करता है। बैंक उधारकर्ता की ऋण पात्रता का आकलन करने के लिए बैंक द्वारा उचित समझे जाने वाले जांच करने या करवाने का हकदार होगा।

(b) चूक की घटना का न होना: इस अनुबंध में परिभाषित चूक की कोई घटना घटित नहीं होगी।

(c) असाधारण परिस्थितियाँ: कोई भी असाधारण या अन्य परिस्थितियाँ उत्पन्न नहीं होनी चाहिए जो बैंक के एकमात्र विचार से उधारकर्ता के लिए इन नियमों और शर्तों में से किसी को पूरा करना असंभव बना दे।

(d) लंबित कानूनी कार्यवाही: उधारकर्ता को बैंक को उसके विरुद्ध शुरू की गई किसी भी कार्रवाई, मुकदमे की कार्यवाही, समापन/दिवालियापन कार्यवाही या जांच के बारे में बताना होगा।

(e) संवितरण के उपयोग के लिए साक्ष्य: बैंक को किसी भी संवितरण के समय संतुष्ट होना चाहिए कि यह अनुसूची डी में उल्लिखित उद्देश्य के लिए आवश्यक है और जैसा कि उधारकर्ता द्वारा निर्धारित किया गया है और उधारकर्ता ऋण के संवितरण की आय के प्रस्तावित उपयोग के लिए बैंक को संतोषजनक साक्ष्य प्राप्त करेगा।

(f) पूर्व संवितरण का उपयोग: ऋणी को बैंक को किसी भी पूर्व संवितरण की आय के उपयोग के बारे में संतुष्ट करना होगा, यदि कोई हो।

(g) गारंटी/प्रतिभूति आदि: यदि बैंक द्वारा अपेक्षित हो तो उधारकर्ता को गारंटी/गारंटियां, प्रतिभूति, आवश्यक दस्तावेज, लिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे तथा बैंक द्वारा अपेक्षित होने पर उत्तर दिनांकित चेक सौंपने होंगे।

(h) एनआरआई/पीआईओ आदि: जहां उधारकर्ता विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 2000 या भारत में विदेशी मुद्रा से संबंधित अन्य कानून के प्रावधानों के अनुसार एक अनिवासी भारतीय या भारतीय मूल का व्यक्ति है, उधारकर्ता को सभी अनुमतियां, प्राधिकरण, अनुमोदन, मंजूरी प्राप्त करनी होगी और उधार लेने और बकाया राशि के पुनर्भुगतान के लिए आवश्यक सभी शर्तों को पूरा करना होगा।

(i) उधारकर्ता के अंशदान का उपयोग: उधारकर्ता को ऋण के उद्देश्य के लिए आवश्यक शेष धनराशि की व्यवस्था करनी होगी (अर्थात ऋण से कम संपत्ति की लागत)। उधारकर्ता किसी अन्य व्यक्ति से इसे उधार नहीं लेगा।

(j) वित्तीय स्वैप के लिए एनओसी: जहां उधारकर्ता वित्तीय स्वैप के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करने का इरादा रखता है, उधारकर्ता को मौजूदा / पिछले बैंक / संस्थान / ऋणदाता से आवश्यक अनुमतियां, पत्र प्राप्त करना होगा और बैंक को सही जानकारी का खुलासा करना होगा।

(k) उधारकर्ता को संपत्ति के अधिग्रहण के लिए आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करनी होंगी।

अनुच्छेद 5 अनुबंध

5.1 सकारात्मक अनुबंध

ऋणी बैंक के साथ वचनबद्धता करता है कि –

a) उधारकर्ता ऋण का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए करेगा जिसके लिए ऋण लिया गया है

b) उधारकर्ता को अपनी नौकरी, व्यवसाय या पेशे की शर्तों या स्थान में किसी भी परिवर्तन की सूचना बैंक को सात दिनों के भीतर देनी होगी।

c) सभी बीमा पॉलिसियाँ, चाहे वे उधारकर्ता द्वारा ली गई हों या उधारकर्ता की ओर से बैंक द्वारा ली गई हों, ऋण की अवधि के दौरान हर समय उधारकर्ता द्वारा अपने खर्च पर रखी जाएँगी और उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि ऐसी सभी पॉलिसियों के लिए बैंक हानि प्राप्तकर्ता/लाभार्थी/असाइनकर्ता होगा और बैंक ऐसी सभी पॉलिसियों के लाभ का हकदार होगा। ऐसी पॉलिसियाँ बैंक द्वारा लिखित रूप से अनुमोदित बीमा कंपनी या प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ ली जाएँगी। उधारकर्ता बीमा पॉलिसियाँ और सभी कवर नोट प्रीमियम रसीदें आदि बैंक में जमा करेगा। उधारकर्ता सभी प्रीमियमों का समय पर भुगतान करेगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या करने नहीं देगा जिससे ऐसी बीमाएँ अमान्य हो जाएँ और उधारकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, ऋण की अवधि के दौरान, बैंक उक्त पॉलिसियों के अंतर्गत धन प्राप्त करने और उसका उपयोग करने का हकदार होगा और उसे बकायों के पुनर्भुगतान के लिए विनियोजित करेगा।

d) जब भी बैंक द्वारा उधारकर्ता से यह अपेक्षित हो कि वह अपनी वार्षिक आय का विवरण प्रस्तुत करे, जो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित और अंकेक्षित हो (जिसमें उसका पंजीकरण क्रमांक अंकित हो) तथा साथ ही आयकर प्राधिकारियों के पास दाखिल किए गए कर रिटर्न की प्रतिलिपि, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित हो (जिसमें उसका पंजीकरण क्रमांक अंकित हो) या नियोक्ता द्वारा विधिवत् मुहर लगी और हस्ताक्षरित नवीनतम वेतन पर्ची प्रस्तुत करे।

e) यदि उधारकर्ता ने एनआरआई/पीआईओ की स्थिति में ऋण लिया है, तो उधारकर्ता को बैंक को अपनी एनआरआई/पीआईओ स्थिति में निवासी स्थिति में परिवर्तन की सूचना देनी होगी, तथा यदि उधारकर्ता ने एनआरआई/पीआईओ की स्थिति में निवासी स्थिति में परिवर्तन की सूचना देनी होगी।

f) उधारकर्ता को प्रतिभूति को अपने स्वयं के खर्च पर अच्छी स्थिति में बनाए रखना होगा तथा उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी प्रतिभूति का मूल्य कम न हो।

g) उधारकर्ता को प्रतिभूति धारण करने की सभी शर्तों एवं नियमों का विधिवत एवं समय पर पालन करना होगा।

h) यदि बैंक द्वारा अपेक्षित हो, तो ऋण लेने वाला व्यक्ति ऋण की अवधि के दौरान हर समय, अपने स्वयं के खर्च पर, बैंक के नाम पर या बैंक को हानि भुगतानकर्ता के रूप में चिह्नित करके या पॉलिसी को बैंक को सौंपे जाने या बैंक के हित को ऐसी पॉलिसी पर मान्यता दिए जाने के साथ बैंक द्वारा अपेक्षित तरीके से, बैंक द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित प्रतिष्ठित बीमा कंपनी या कंपनियों के साथ प्रतिभूति को ऐसे जोखिमों के विरुद्ध पूरी तरह से बीमाकृत रखेगा और बीमा पॉलिसियों तथा सभी कवर नोट प्रीमियम रसीदें आदि बैंक के पास जमा करेगा। ऋण लेने वाला व्यक्ति सभी प्रीमियमों का समय पर भुगतान करेगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या करने नहीं देगा जिससे ऐसी बीमा अमान्य हो जाए और उक्त पॉलिसियों के अंतर्गत कोई धनराशि प्राप्त होने पर उसे बैंक को देगा जिसे बैंक के विकल्प पर, ऐसी प्रतिभूति को पुनः स्थापित करने या प्रतिस्थापित करने या उक्त बकाया राशि के पुनर्भुगतान में लगाया जाएगा। यदि ऋणकर्ता उपर्युक्त सभी/किसी भी प्रतिभूति का बीमा करने या बीमाकृत रखने में असफल रहता है, तो बैंक, इसके अधीन अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना या उन्हें प्रभावित किए बिना, उनका बीमा करने और उन्हें बीमाकृत रखने के लिए स्वतंत्र होगा (किन्तु बाध्य नहीं होगा) और ऋणकर्ता, मांग किए जाने पर, ऐसा करने में बैंक द्वारा व्यय की गई या व्यय की गई सभी राशि, उपर्युक्त ऋण के लिए लागू दर पर ब्याज के साथ, बैंक को वापस करेगा।

i) उधारकर्ता को प्रतिभूति में किए जाने वाले किसी भी परिवर्धन या परिवर्तन का विवरण सूचित करना होगा।

j) बैंक द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति को संपत्ति से संबंधित सक्षम प्राधिकारी से चर्चा करने, जानकारी एकत्र करने की अनुमति होगी और उधारकर्ता को आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करना होगा।

k) उधारकर्ता को तुरंत लिखित सूचना देनी होगी:
   1. उधारकर्ता और किसी व्यक्ति के बीच उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद।
   2. कोई भी भौतिक परिस्थिति/घटना जिससे उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति या लाभ या व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो और उधारकर्ता के व्यवसाय में कोई भी भौतिक परिवर्तन हो।
   3. गारंटर(ओं) की वित्तीय स्थिति में कोई भी भौतिक परिवर्तन।
   4. ऋणी और किसी व्यक्ति या सरकारी निकाय या प्राधिकरण के बीच संपत्ति से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है।
   5. संपत्ति के विरुद्ध लगाया जा रहा कोई भी संकट या निष्पादन।
   6. कोई हानिया किसी दैवीय कृत्य या क्षति के कारण संपत्ति को नुकसान।

l) उधारकर्ता ऐसे कार्य, कर्म, मामले और चीजों को करेगा, निष्पादित करेगा और निष्पादित करेगा जिन्हें बैंक प्रतिभूति पर बैंक के अधिकार को पूर्ण करने के लिए आवश्यक समझे।

m) उधारकर्ता, बैंक द्वारा अपेक्षित अंतराल पर, उधारकर्ता को अपने वित्तीय विवरण उपलब्ध कराएगा।

n) ऋणकर्ता को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए कब्जे/पूर्णता प्रमाण पत्र की उचित सत्य प्रति प्राप्त करनी होगी तथा अंतिम संवितरण की तिथि से 6 महीने की अवधि के भीतर निर्माण पूरा होने के बारे में लिखित सूचना बैंक को प्रस्तुत करनी होगी। यदि सोसायटी/अन्य संगठन का गठन नहीं हुआ है, तो ऋणकर्ता सोसायटी/अन्य संगठन के गठन के बाद सोसायटी/अन्य संगठन को संपत्ति की खरीद/निर्माण के लिए बैंक द्वारा ऋणकर्ता को दिए गए ऋण के बारे में सूचित करेगा तथा यदि बैंक द्वारा अपेक्षित हो तो सोसायटी/अन्य संगठन से आवश्यक पुष्टि प्राप्त करेगा।

o) ऋण प्राप्त करके खरीदी गई/निर्मित संपत्ति पूर्णतः उधारकर्ता में निहित होगी तथा उधारकर्ता को ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और चीज करने होंगे जो संपत्ति को पूर्णतः उधारकर्ता में निहित करने के लिए आवश्यक होंगे।

p) उधारकर्ता को बैंक को किसी भी घटना या परिस्थिति या किसी भी घटना या परिस्थिति की जानकारी होने पर तुरंत सूचित करना होगा, जो उस संपत्ति के निर्माण, हस्तांतरण, मरम्मत, पुनर्निर्माण की खरीद, प्रारंभ या पूर्णता में देरी/रद्द/अशुद्धि कर सकती है, जिसके लिए ऋण लिया गया है।

q) बैंक द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति को उस संपत्ति तक मुफ्त पहुंच की अनुमति दी जाएगी जिसके अधिग्रहण के लिए ऋण लिया गया है, ताकि निरीक्षण/पर्यवेक्षण तथा निर्माण की प्रगति और खातों का निरीक्षण किया जा सके, ताकि ऋण का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

r) बैंक द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति को संपत्ति से संबंधित सक्षम प्राधिकारी से चर्चा करने, जानकारी एकत्र करने की अनुमति होगी और उधारकर्ता को आवश्यकतानुसार सहयोग प्रदान करना होगा।

s) उधारकर्ता इस बात से सहमत है कि बैंक ऋण पर खरीदी गई संपत्ति के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं है। यह स्पष्ट रूप से सहमत है और घोषित किया जाता है कि ऐसी संपत्ति का कोई भी विक्रेता / बिल्डर जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से यह लेन-देन शुरू किया गया हो, बातचीत की गई हो या संचालित किया गया हो, वह बैंक का एजेंट नहीं है और किसी भी ऐसे प्रतिनिधित्व या बयान के लिए उत्तरदायी नहीं है जो बैंक द्वारा नहीं किया गया हो।बैंक द्वारा सीधे उधारकर्ता को ऋण दिया जाता है। उधारकर्ता इस प्रकार संपत्ति के विक्रेता/निर्माता के संबंध में व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होने की पुष्टि करता है।

5.2 नकारात्मक अनुबंध

इस समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा प्रदान की गई अन्य प्रतिज्ञाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उधारकर्ता बैंक के साथ आगे यह प्रतिज्ञा करता है कि जब तक बैंक अन्यथा लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन नहीं देता, उधारकर्ता -

a) बैंक की लिखित अनुमति के बिना किसी के लिए ज़मानत नहीं देना या किसी ऋण या ओवरड्राफ्ट के पुनर्भुगतान या किसी परिसंपत्ति के क्रय मूल्य की गारंटी नहीं देना।

b) बिना बकाया चुकाए रोजगार या व्यवसाय के लिए भारत छोड़ना या लंबे समय तक विदेश में रहना। यह प्रवास लंबे समय तक रहेगा या नहीं, इसका निर्णय पूरी तरह से बैंक द्वारा किया जाएगा।

c) यदि उधारकर्ता एक कंपनी है, तो वह बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना उधारकर्ता के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं देगा, जिससे उधारकर्ता का प्रभावी लाभकारी स्वामित्व या नियंत्रण किसी भी प्रकार से बदल जाएगा।

d) यदि उधारकर्ता एक कंपनी है, तो बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना विलय, समामेलन, समझौता या पुनर्निर्माण की किसी योजना पर निर्णय नहीं ले सकता या उसमें प्रवेश नहीं कर सकता।

e) यदि उधारकर्ता एक कंपनी है, तो बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना उधारकर्ता के ज्ञापन और लेखों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता।

f) यदि उधारकर्ता एक कंपनी है, तो यदि मूलधन या ब्याज की कोई किस्त देय तिथि तक अदा नहीं की जाती है, तो लाभांश की घोषणा करें।

g) ऋण का उपयोग किसी सट्टा या असामाजिक या अवैध उद्देश्य के लिए न करें।

h) ऋण राशि द्वारा खरीदी गई संपत्ति के आवासीय उपयोग में परिवर्तन किया जा सकता है, बशर्ते कि यदि ऐसी संपत्ति का उपयोग आवासीय उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो बैंक द्वारा की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई के अतिरिक्त, बैंक अपने विवेकानुसार, मामले की परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित उच्चतर ब्याज दर वसूलने का हकदार होगा।

i) संपत्ति को किसी अन्य समीपवर्ती संपत्ति के साथ संयोजित या विलय नहीं करेगा और न ही उधारकर्ता ऐसी संपत्ति पर कोई मार्गाधिकार या कोई अन्य सुखाधिकार बनाएगा।

j) संपत्ति के किसी भी हिस्से को किराये पर देना, पट्टे पर देना या छुट्टी और लाइसेंस पर देना या अन्यथा किसी भी तरह से उसके कब्जे / उपयोग से अलग करना।

k) प्रतिभूति या उसके किसी भाग को बेचना, प्रभारित करना, पट्टे पर देना, समर्पित करना या अन्यथा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरण या हित सृजित करना या ऐसी प्रतिभूति पर किसी भी प्रकार का प्रभार, भार या ग्रहणाधिकार की अनुमति देना।

5.3 शुल्क, लागत, कर आदि.

a) उधारकर्ता अपरिवर्तनीय रूप से बैंक को मांगे जाने पर सभी कर, व्यय, शुल्क, प्रभार, खर्च, फीस आदि (ब्याज कर, स्टांप शुल्क और उससे संबंधित कोई जुर्माना, कानूनी लागत सहित) और निम्नलिखित परिस्थितियों में देय किसी भी अन्य शुल्क का भुगतान करने का वचन देता है:

i) केन्द्र या राज्य सरकार या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित कोई मांग या आदेश।

ii) ऋण/सुरक्षा दस्तावेजों की तैयारी, निष्पादन, पंजीकरण के लिए।

iii) सुरक्षा के संरक्षण, निष्पादन, प्रवर्तन, प्राप्ति, संग्रहण या पीएमआईआई (यदि लागू हो) और/या मासिक किस्तों के भुगतान के प्रवर्तन के लिए।

अभी या भविष्य में, चाहे इस समझौते के संबंध में पूर्वव्यापी या भावी प्रभाव हो। यदि बैंक अपने विवेक से ऐसा कोई भुगतान करता है, तो उधारकर्ता बैंक द्वारा सूचित किए जाने के 7 दिनों के भीतर बैंक को प्रतिपूर्ति करने का अपरिवर्तनीय रूप से वचन देता है।

b) उपर्युक्त अनुसार देय किसी भी राशि के भुगतान में देरी होने पर या पीएमआईआई, मासिक किस्त, प्रतिबद्धता शुल्क, पूर्वभुगतान शुल्क, चेक स्वैप शुल्क (अनुसूची ए के मद संख्या एक्स में निर्दिष्ट अनुसार), अन्य धनराशि एवं शुल्क, चेक अनादर शुल्क (अनुसूची ए के मद संख्या IX में निर्दिष्ट अनुसार), एसआई/ईसीएस अनादर शुल्क के भुगतान में देरी होने पर, उस पर अनुसूची ए के मद संख्या VII में उल्लिखित प्रतिस्थापित ब्याज के अनुसार ब्याज लगेगा और भुगतान की संबंधित देय तिथि से भुगतान की वास्तविक तिथि तक की गणना की जाएगी और मासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर देय हो जाएगी।

c) इस अनुबंध के अंतर्गत देय उपरोक्त सभी धनराशियां, यदि उपरोक्तानुसार समय पर भुगतान नहीं की जाती हैं, तो उन्हें बकाया राशि का हिस्सा माना जाएगा।

d) यदि उधारकर्ता बैंक को देय किसी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है और बैंक ऐसी राशि की वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करता है, तो उधारकर्ता बैंक को सभी अग्रिम राशि, शुल्क, लागत और व्यय का भुगतान करेगा, जिसमें उचित कानूनी फीस भी शामिल है, जो इस व्यवस्था द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार, शक्ति या उपाय का प्रयोग करने में (या इसके प्रवर्तन में) बैंक द्वारा खर्च या भुगतान किया गया है और ऐसी सभी राशियाँ इसके तहत सुरक्षित बकाया राशि का हिस्सा बन जाएंगी और उधारकर्ता द्वारा बैंक को तुरंत और बिना किसी देरी या आपत्ति के भुगतान किया जाएगा।

5.4 उत्तर दिनांकित चेक

a) यदि बैंक ऐसा निर्णय लेता है, तो सभी भुगतान पोस्ट-डेटेड चेक (किसी भी योजना या ब्याज दर में अंतर के बावजूद) के माध्यम से एकत्र किए जा सकते हैं, जिन्हें बैंक के कार्यालय में बैंक को देय किसी भी भुगतान के लिए सौंप दिया जाएगा और ऐसे पोस्ट-डेटेड चेकों को प्रस्तुत करना उधारकर्ता द्वारा बैंक को उनके संबंधित तिथियों पर चेक प्रस्तुत करने के लिए दिया गया बिना शर्त और अपरिवर्तनीय अधिकार माना जाएगा। बैंक उधारकर्ता से चेक भी प्राप्त कर सकता है, जो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 20 के प्रावधानों के तहत अपूर्ण लिखत के रूप में माना जाएगा। बैंक के पास ऐसे सभी लिखतों को भरने और अंतिम रूप देने का अधिकार होगा।

b) उधारकर्ता को समय-समय पर ऋण के लिए बैंक को दिए गए पोस्ट-डेटेड चेकों का रिकॉर्ड रखना होगा और बैंक को किसी भी दस्तावेज़ में बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम संख्या में पोस्ट डेटेड चेक जमा करने होंगे, जो बैंक को पहले से जमा किए गए अंतिम पोस्ट डेटेड चेक की तारीख से कम से कम 3 महीने पहले होने चाहिए। ऐसे चेक उधारकर्ता द्वारा पहले से प्राप्त पर्याप्त प्रतिफल के लिए दिए गए माने जाएँगे और जब तक चेक का विधिवत भुगतान नहीं हो जाता, उधारकर्ता को उक्त राशि का भुगतान करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा। बैंक उधारकर्ता को चेक के उपयोग/परिशोधन और आगे पोस्ट-डेटेड चेक जमा करने की आवश्यकता के बारे में सूचित करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

c) उधारकर्ता भुगतान की नियत तिथि पर चेकों की वसूली के लिए पर्याप्त शेष बनाए रखेगा। यह स्पष्ट रूप से सहमत और समझा गया है कि उधारकर्ता किसी भी समय उक्त चेकों की प्रस्तुति को रोकने या स्थगित करने के लिए बैंक को कोई संचार जारी नहीं करेगा और बैंक ऐसे किसी भी संचार का नोटिस लेने के लिए बाध्य नहीं है और यदि जारी किया जाता है, तो इसे इस समझौते का उल्लंघन माना जाएगा। उधारकर्ता सहमत है कि यदि उधारकर्ता द्वारा भुगतान के लिए कोई अन्य राशि बकाया है (पीएमआईआई (यदि लागू हो) या मासिक किस्त नहीं है) जिसमें उधारकर्ता की ऋणग्रस्तता के कारण शामिल है, तो बैंक ऐसी बकाया राशि की संतुष्टि के लिए उसके पास जमा किए गए उत्तर दिनांकित चेकों को भुनाने का हकदार होगा, भले ही उधारकर्ता द्वारा पीएमआईआई (यदि लागू हो)/ मासिक किस्त के भुगतान के लिए बैंक में उत्तर दिनांकित चेक जमा किए गए हों

d) किसी भी चेक के अनादरित होने की स्थिति में, बैंक के अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उधारकर्ता को बैंक को चेक अनादर शुल्क का भुगतान करना होगा, जैसा कि प्रत्येक ऐसे अनादर के लिए बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है।

e) यदि ऋण अवधि के दौरान किसी भी समय ऋणी किसी भी पोस्टडेटेड चेक को दूसरे से बदलना चाहता है, तो ऋणी को प्रत्येक बदले गए चेक के लिए बैंक द्वारा निर्धारित स्वैप शुल्क का भुगतान करना होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि पोस्ट-डेटेड चेक को बदलना या उसे अस्वीकार करना बैंक के पूर्ण विवेक पर निर्भर होगा।

f) यदि उधारकर्ता बैंक से अनुरोध करता है और बैंक पोस्ट डेटेड चेक की आवश्यकता को माफ करने के लिए सहमत होता है, तो उधारकर्ता को पीएमआईआई (यदि लागू हो)/मासिक किस्त या इस समझौते के तहत देय कोई अन्य राशि बैंक द्वारा वांछित स्थान पर देय तिथियों पर बैंक के पंजीकृत कार्यालय या बैंक की किसी भी सेवा शाखा में भुगतान करना होगा। उधारकर्ता यह भी वचन देता है कि यदि बैंक को उधारकर्ता से ऐसी राशि एकत्र करनी है, तो उधारकर्ता बैंक द्वारा एकत्र की गई प्रत्येक किस्त के लिए अनुसूची ए के मद संख्या XI में निर्दिष्ट अनुसार बैंक को संग्रह शुल्क का भुगतान करेगा।

g) यदि ऋण की चुकौती स्थायी अनुदेश या इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम के माध्यम से की जानी है, और यदि किसी भी कारण से संबंधित बैंक द्वारा स्थायी अनुदेश या ईसीएस का सम्मान नहीं किया जाता है, तो उधारकर्ता को बैंक के अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समय-समय पर बैंक द्वारा तय किए गए अनादर शुल्क का भुगतान करना होगा।

h) ऋणकर्ता यह वचन देता है कि ऋणकर्ता उस खाते को बंद नहीं करेगा जिस पर उत्तर दिनांकित चेक जारी किए गए हैं तथा बैंक की पूर्व सहमति के बिना उक्त खाते (जहां ऋणकर्ता एक कंपनी/साझेदारी है) के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/हस्ताक्षरकर्ताओं को भी नहीं बदलेगा।

अनुच्छेद 6 अभ्यावेदन और वारंटी

उधारकर्ता इस प्रकार प्रतिनिधित्व और वारंटी देता है कि:

a) क्रेडिट सूचना सभी भौतिक मामलों में सत्य और सटीक है, भ्रामक नहीं है और इसमें कोई भी भौतिक विवरण नहीं छूटा है, जिसके छूट जाने से कोई तथ्य या कथन भ्रामक हो जाए और क्रेडिट सूचना को इसमें निहित वारंटी का हिस्सा माना जाएगा।

b) बैंक से ऋण प्राप्त करके ऋणी द्वारा किसी भी पक्ष के साथ किए गए किसी भी मौजूदा समझौते के तहत किसी भी अनुबंध, शर्तों या शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जाता है।

c) आवेदन के बाद कोई भी भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है जो आवेदन में अनुरोधित ऋण की स्वीकृति को प्रभावित करेगा।

d) इस अनुबंध के प्रवेश और वितरण के लिए किए जाने, पूरे किए जाने या निष्पादित किए जाने के लिए अपेक्षित सभी कार्य, शर्तें और चीजें, तथा अपेक्षित या आवश्यक सभी प्राधिकरण पूरे किए जा चुके हैं, किए जा चुके हैं, प्राप्त किए जा चुके हैं, प्रभावी किए जा चुके हैं और निष्पादित किए जा चुके हैं तथा पूर्ण रूप से लागू हैं और ऐसे किसी प्राधिकरण को रद्द या निरस्त किए जाने की धमकी नहीं दी गई है।

e) यह अनुबंध वैध रूप से निष्पादित किया गया है और मुख्य अनुबंध या प्रत्येक अनुबंध दस्तावेज़ के लिए कोई भी परिशिष्ट/अनुपूरक अनुबंध, निष्पादित होने पर, उधारकर्ता के कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्वों का गठन करता है या करेगा, जो उनके संबंधित शर्तों के अनुसार लागू करने योग्य हैं।

f) इस अनुबंध में कुछ भी केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय या राजस्व/कर या वैधानिक प्राधिकरण या किसी अन्य ऐसे प्राधिकरण के किसी कानून, विनियमन या उपनियम के साथ संघर्ष नहीं करता है, जो उधारकर्ता पर बाध्यकारी है और उधारकर्ता एतद्द्वारा यह वचन देता है और पुष्टि करता है कि यदि बैंक को उधारकर्ता के साथ इस अनुबंध में प्रवेश करने के कारण या उधारकर्ता या बैंक के कारण इस अनुबंध के अनुसरण में कार्य करने के कारण कोई लागत, प्रभार, खर्च, दंड, दावा, मांग और/या क्षति उठानी पड़ती है, जिससे ऐसे किसी कानून, विनियमन या उपनियमों का उल्लंघन होता है, तो उधारकर्ता बैंक द्वारा मांगे जाने पर और बिना किसी आपत्ति, विरोध या चूक के बैंक को ऐसे सभी लागत, प्रभार, खर्च आदि का भुगतान/प्रतिपूर्ति करेगा, जो बैंक ने उठाए या झेले।

g) इस करार और अनुबंध दस्तावेजों के तहत ऋणकर्ता के दायित्व निजी और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किए गए और निष्पादित निजी और वाणिज्यिक कार्य होंगे और ऋणकर्ता इस करार या अनुबंध दस्तावेजों के संबंध में किसी भी कार्यवाही में मुकदमे, निष्पादन, कुर्की या कानूनी प्रक्रिया से स्वयं या अपनी किसी भी संपत्ति के लिए प्रतिरक्षा का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

h) उधारकर्ता ने बैंक से किसी भी प्रकार का कोई अन्य ऋण, अग्रिम, सुविधा या कर्ज नहीं लिया है और यदि लिया है, तो उसका सही ढंग से खुलासा किया गया है और उधारकर्ता किसी भी अन्य व्यक्ति को बैंक द्वारा दिए गए किसी भी प्रकार के ऋण, अग्रिम, सुविधा या कर्ज के लिए गारंटर नहीं है या उसने कोई सुरक्षा नहीं दी है और यदि दी गई है, तो उसका लिखित रूप में बैंक को सही ढंग से खुलासा किया गया है।

i) उधारकर्ता या पूरी प्रतिभूति या उसके किसी भाग पर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क, ग्रहणाधिकार या अन्य भार या कानूनी विवाद नहीं है। उधारकर्ता के पास प्रतिभूति पर स्पष्ट और बिक्री योग्य अधिकार है।

j) कि उधारकर्ता (i) वयस्क है और स्वस्थ दिमाग का है (जहां उधारकर्ता एक व्यक्ति है); (ii) भारत के कानूनों के तहत विधिवत गठित और निगमित एक निगमित निकाय है (जहां उधारकर्ता कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित एक कंपनी या कोई अन्य निगमित निकाय है); (iii) [भारतीय] भागीदारी अधिनियम, 1932 के अर्थ के भीतर एक साझेदारी फर्म है जिसमें अनुसूची ए की मद संख्या IV में भागीदारों के रूप में उल्लिखित व्यक्ति शामिल हैं (जहां उधारकर्ता एक साझेदारी फर्म है); और अनुबंध करने और

इस समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करना तथा उनका पालन करना।

k) उधारकर्ता ने आयकर, संपत्ति कर और सरकार या किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण को देय सभी अन्य करों और राजस्व जैसी सभी सार्वजनिक मांगों का भुगतान कर दिया है और समय आने पर भुगतान करेगा। आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत उधारकर्ता या उधारकर्ता की किसी भी संपत्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

l) यह कि ऋणी के पास इस ऋण को लेने तथा इस समझौते के अनुसार उसका पुनर्भुगतान करने की पर्याप्त क्षमता है।

m) ऋणकर्ता ने बिल्डर/डेवलपर/सुरक्षा/एसोसिएशन/कंपनी के कार्यालय में मूल शीर्षक विलेखों का सत्यापन किया है और ऋण राशि से खरीदी जा रही संपत्ति के संबंध में संबंधित सरकारी कार्यालयों में आवश्यक पूछताछ/खोज की है। ऋणकर्ता ने ऋण राशि से खरीदी जा रही संपत्ति से संबंधित सभी तथ्य बैंक को बता दिए हैं।

n) ऋण राशि से खरीदी गई संपत्ति किसी सक्षम प्राधिकारी की किसी योजना में शामिल या प्रभावित नहीं है, या किसी सक्षम प्राधिकारी की किसी योजना के तहत सड़क के संरेखण, चौड़ीकरण या निर्माण से प्रभावित नहीं है।

o) ऋणकर्ता और बिल्डर/डेवलपर या जैसा भी मामला हो, विक्रेता के बीच ऋण राशि द्वारा संपत्ति की खरीद के लिए बिक्री/बिक्री विलेख/हस्तांतरण विलेख वैध और अस्तित्व में है और निर्माण के लिए योजना और आवश्यक अनुमति समय पर ली गई है। इस समझौते में ऋणकर्ता के सभी अभ्यावेदन और वारंटियाँ इस समझौते की तारीख से हर दिन ऋणकर्ता द्वारा दोहराई गई मानी जाएँगी जब तक कि उक्त बकाया राशि बैंक को पूरी तरह से भुगतान नहीं कर दी जाती; और ऋणकर्ता किसी भी दिन या किसी भी समय किसी भी अभ्यावेदन या वारंटियों के असत्य या गलत होने की स्थिति में तुरंत बैंक को सूचित करेगा।

अनुच्छेद 7 आयोजन बैंक की चूक और उपचार

यदि इस अनुच्छेद में निर्दिष्ट एक या अधिक घटनाएं (जिसे इसके बाद "डिफ़ॉल्ट की घटना" कहा जाएगा) घटित हुई हैं, तो बैंक उधारकर्ता को लिखित नोटिस द्वारा घोषित कर सकता है कि मूलधन, सभी अर्जित ब्याज और उधारकर्ता द्वारा देय अन्य सभी राशियां इस समझौते के तहत या इसके नियमों के अनुसार उधारकर्ता द्वारा बैंक को तुरंत देय हो जाएंगी, और ऐसी घोषणा के बाद वे तुरंत देय हो जाएंगी और ऋण के लिए बैंक के पक्ष में बनाई गई सुरक्षा लागू हो जाएगी।

7.1 डिफ़ॉल्ट की घटनाएँ

a) बकाया राशि का भुगतान: यदि पीएमआईआई (यदि लागू हो)/मासिक किस्त या दंडात्मक ब्याज या शुल्क या देय किसी अन्य राशि के भुगतान में कोई चूक हुई हो या किया गया भुगतान इस अनुबंध के अनुसार बैंक को देय किसी राशि से कम हो।

b) अभ्यावेदन और वारंटी: यदि उधारकर्ता के प्रस्ताव / आवेदन में दिए गए कोई अभ्यावेदन या कथन या विवरण गलत पाए जाते हैं या उधारकर्ता इस समझौते या सुरक्षा बनाने वाले किसी भी दस्तावेज के प्रदर्शन या पालन में कोई उल्लंघन या चूक करता है या इस ऋण के संबंध में बैंक और उधारकर्ता के बीच किसी भी अन्य समझौते की शर्तों या प्रावधानों को रखने या निष्पादित करने में विफल रहता है;

c) संविदाओं का निष्पादन: यदि उधारकर्ता और बैंक के बीच इस समझौते के तहत उधारकर्ता की ओर से किसी भी संविदा और शर्तों के निष्पादन में चूक हुई हो।

d) चेक की डिलीवरी न करना: यदि उधारकर्ता इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार उत्तर दिनांकित चेक वितरित करने में विफल रहता है।

e) प्रत्यक्ष निर्देश के माध्यम से भुगतान न करना: जहां उधारकर्ता ने वेतन से प्रत्यक्ष कटौती या अपने बैंक खाते से प्रत्यक्ष डेबिट या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के माध्यम से देय राशि का भुगतान स्वीकार कर लिया है और ऐसा कोई भी भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, सम्मानित नहीं किया गया है या मंजूरी नहीं दी गई है।

f) प्रतिभूति का मूल्यह्रास: यदि प्रतिभूति सहित सृजित किसी भी प्रतिभूति या उसके किसी भाग में कोई गिरावट या क्षति होती है या उसके मूल्य या बाजार मूल्य (चाहे वास्तविक या उचित रूप से प्रत्याशित) में कोई गिरावट या मूल्यह्रास होता है, जिसके कारण बैंक के निर्णय में प्रतिभूति चरित्र या मूल्य के रूप में असंतोषजनक हो जाती है;

g) दिवालियापन: दिवालियापन, समापन, व्यवसाय में विफलता, दिवालियापन की कार्रवाई का कमीशन, लेनदारों के लाभ के लिए सामान्य असाइनमेंट, यदि उधारकर्ता किसी भी लेनदार को भुगतान निलंबित करता है या ऐसा करने की धमकी देता है, उधारकर्ता द्वारा या उसके खिलाफ दिवालियापन में किसी भी याचिका को दाखिल करना या उधारकर्ता के समापन / दिवालियापन के लिए किसी भी याचिका को दाखिल करना और स्वीकार किए जाने के 30 दिनों के भीतर वापस नहीं लिया जाना;

h) तलाक या मृत्यु: जहां उधारकर्ता या गारंटर में से कोई भी तलाकशुदा हो जाता है या मर जाता है या पागल हो जाता है।

i) ऋण चुकाने में असमर्थता: यदि उचित आशंका है कि उधारकर्ता या गारंटर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ हैं या उधारकर्ता या गारंटर में से

किसी ने अपने ऋणों का भुगतान करने में अपनी असमर्थता स्वीकार कर ली है, क्योंकि वे देय हो जाते हैं;

j) वित्तीय स्थिति में परिवर्तन: यदि उधारकर्ता या गारंटर की वित्तीय स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है

k) कानूनी दोषसिद्धि: यदि उधारकर्ता या गारंटर को किसी लागू आपराधिक कानून के तहत दोषी ठहराया जाता है;

l) ऐसी कोई अन्य परिस्थिति विद्यमान हो, जो बैंक की एकमात्र राय में बैंक के हित के प्रतिकूल हो;

m) क्रॉस डिफॉल्ट: यदि उधारकर्ता या गारंटर ने इस समझौते या बैंक के साथ अन्य अनुबंध के तहत किसी भी ऋण के तहत डिफ़ॉल्ट किया है।

n) यदि उधारकर्ता या गारंटर के विरुद्ध कोई मुकदमा या कार्यवाही (मध्यस्थता या सुलह कार्यवाही सहित) शुरू की जाती है या उनके विरुद्ध आदेश या डिक्री पारित की जाती है या उन्हें नोटिस प्राप्त होता है।

o) शेष राशि की पुष्टि देने में विफलता: यदि उधारकर्ता बैंक के ऋण की शेष राशि की पुष्टि पर हस्ताक्षर करने और उसे बैंक को सौंपने में विफल रहता है जब भी बैंक द्वारा अपेक्षित हो।

p) रोजगार/व्यवसाय में परिवर्तन: रोजगार या व्यवसाय की शर्तों या स्थान में कोई परिवर्तन होता है और इसकी सूचना बैंक को नहीं दी जाती है।

q) संवितरण की पूर्व शर्तें: जहां ऋण संवितरण किस्तों में होना है, उधारकर्ता प्रत्येक किस्त के संवितरण की तिथि (या बैंक द्वारा अनुमत ऐसी विस्तारित अवधि) से पहले, इस अनुबंध या इसके किसी अनुसूची या किसी अन्य संचार में निर्धारित पूर्व शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है।

r) यदि उधारकर्ता (कंपनी होने के नाते) बैंक की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना, विलय या पुनर्निर्माण के उद्देश्य से परिसमापन में चला जाता है;

s) यदि उधारकर्ता की सम्पूर्ण संपत्ति/परिसंपत्तियों या उसके किसी भाग के संबंध में रिसीवर नियुक्त किया जाता है।

t) यदि उधारकर्ता अपना व्यवसाय बंद कर देता है या बंद करने की धमकी देता है।

u) यदि बैंक द्वारा नियुक्त लेखाकारों की फर्म के लेखाकार द्वारा (जिसके लिए बैंक किसी भी समय हकदार है और इसके द्वारा प्राधिकृत है) यह प्रमाणित किया जाता है कि उधारकर्ता की देनदारियां उधारकर्ता की परिसंपत्तियों से अधिक हैं या उधारकर्ता घाटे में व्यवसाय कर रहा है;

v) बैंक, चूक की स्थिति में अपनी बकाया राशि वसूलने के लिए प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई के अतिरिक्त, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम के साथ पठित, सिविल या अन्य कार्रवाई/कार्यवाही आरंभ करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

w) प्रतिभूति/संपत्ति का हस्तांतरण: यदि वह संपत्ति जिसके लिए ऋण लिया गया है और/या प्रतिभूति या उसका कोई भाग बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किराये पर दिया गया है, लीव एंड लाइसेंस पर दिया गया है, निपटाया गया है, पट्टे पर दिया गया है, भारग्रस्त किया गया है, वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है, या अन्यथा हस्तांतरित किया गया है।

x) यदि ऋणकर्ता या गारंटर कोई ऐसा कार्य करता है जिससे उस संपत्ति पर प्रभाव पड़ता है जिसके लिए ऋण लिया गया है या उस संपत्ति का मूल्य प्रभावित होता है।

y) यदि वह संपत्ति जिसके लिए ऋण लिया गया है, किसी भी कारणवश मरम्मत के लायक न रह जाने पर नष्ट हो जाती है।

z) यदि किसी भी समय जिस संपत्ति के लिए ऋण लिया गया है उसका उपयोग किसी अवैध या गैरकानूनी उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

aa) कुर्की, जब्ती आदि: यदि जिस संपत्ति के लिए ऋण लिया गया है उसे कुर्क या जब्त कर लिया जाता है या वह किसी अन्य कानूनी कार्यवाही का हिस्सा बन जाती है।

bb) यदि उपर्युक्त स्टाम्प शुल्क का भुगतान बैंक द्वारा उधारकर्ता की ओर से किया जाता है तो उधारकर्ता को बैंक की मांग के 24 घंटे के भीतर बैंक को इसकी प्रतिपूर्ति करनी होगी।

7.2 चूक की घटना घटित होने पर सूचना

a) यदि कोई चूक की घटना या कोई ऐसी घटना जो समय बीतने के बाद चूक की घटना बनने में सक्षम है, घटित होती है, तो बैंक तुरंत ऋणकर्ता को ऋण और बैंक को सभी बकाया चुकाने के लिए कहने का हकदार होगा और ऐसे मामले में ऋणकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह बैंक को बकाया राशि तुरंत चुकाए। ऋणकर्ता द्वारा बकाया राशि तुरंत चुकाने में चूक की स्थिति में, बैंक इस समझौते के तहत और कानून के तहत बैंक के लिए उपलब्ध अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस समझौते के अनुसार बैंक के पक्ष में ऋणकर्ता द्वारा बनाई गई सुरक्षा को लागू करने का हकदार होगा। प्रतिभूति के लागू होने पर, बैंक अपने अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इसका हकदार होगा और करेगा बैंक को अपने विवेकानुसार निजी संधि द्वारा प्रतिभूति या उसके किसी भाग को बेचने और निपटाने के लिए पूर्ण शक्ति और अधिकार है, न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना (जहाँ तक संभव हो) जब भी बैंक अपने पूर्ण विवेकानुसार उचित समझे और ऐसी बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय को संतुष्टि के रूप में लागू करे जहाँ तक वह ऋण के परिसमापन की ओर विस्तारित हो। ऋणी इस बात से सहमत है और वचन देता है कि बैंक द्वारा प्रतिभूति को जिस मूल्य पर हस्तांतरित किया जाता है, उसके बारे में कोई विवाद नहीं उठाएगा और बैंक द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा और ऋणी पर बाध्यकारी होगा। इस अनुच्छेद के तहत प्रतिभूति की बिक्री या हस्तांतरण के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

b) बैंक नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी समय इस समझौते को समाप्त कर सकता है।

c) इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार किसी भी निरस्तीकरण या समाप्ति के बावजूद, इस समझौते के सभी प्रावधान पूर्ण शक्ति और प्रभाव में जारी रहेंगे, जैसा कि इसमें विशेष रूप से प्रावधान किया गया है, आवश्यक परिवर्तनों सहित, जब तक कि ऋणी द्वारा बैंक की संतुष्टि के लिए ऋण राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता है।

7.3 किसी भी कमी को पूरा करना

यदि प्रतिभूति की बिक्री/हस्तांतरण के माध्यम से प्राप्त शुद्ध राशि, उधारकर्ता द्वारा बकाया राशि की पूरी राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है, तो इस समझौते या कानून के तहत बैंक के अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उधारकर्ता बैंक की मांग पर बैंक को तत्काल ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए सहमत है, जो कमी को पूरा करेगी।

अनुच्छेद 8 अधित्याग

इस करार या किसी अन्य दस्तावेज के अंतर्गत किसी चूक के कारण बैंक को इस करार के अंतर्गत प्राप्त किसी अधिकार, शक्ति या उपाय के प्रयोग में विलंब या चूक से ऐसे किसी अधिकार, शक्ति या उपाय में कमी नहीं आएगी और न ही इसे उसका त्याग या ऐसी चूक में किसी प्रकार की सहमति माना जाएगा; न ही किसी चूक के संबंध में बैंक की कार्रवाई या निष्क्रियता या किसी चूक में उसकी सहमति से किसी अन्य चूक के संबंध में बैंक के किसी अधिकार, शक्ति या उपाय पर कोई प्रभाव पड़ेगा या उसकी कमी आएगी।

अनुच्छेद 9 असरदार नियम और शर्तों की तिथि

यह करार इस करार पर हस्ताक्षर की तारीख से लागू होगा तथा तब तक लागू रहेगा जब तक कि ऋणी और बैंक के बीच इस करार के अंतर्गत बैंक को देय सभी धनराशियां बैंक की संतुष्टि के अनुसार पूरी तरह से भुगतान नहीं कर दी जातीं।

अनुच्छेद 10 प्रतिभूतिकरण/असाइनमेंट

उधारकर्ता स्पष्ट रूप से यह मानता और स्वीकार करता है कि बैंक, उधारकर्ता के संदर्भ या उसे कोई सूचना दिए बिना, पूरी तरह से हकदार होगा और उसके पास पूर्ण शक्ति और प्राधिकार होगा कि वह किसी तीसरे पक्ष या व्यक्ति को प्रतिभूतियां बेचे, सौंपे या हस्तांतरित करे, जैसा कि बैंक तय करे। ऋण और सभी बकाया देय और इस समझौते के तहत अधिकार और दायित्व और कोई भी सुरक्षा/अतिरिक्त सुरक्षा (गारंटी/गारंटियों सहित)/विभिन्न बीमा पॉलिसियों के तहत लाभ जो बैंक के पक्ष में बनाए जा सकते हैं, किसी भी तरीके से, पूरे या आंशिक रूप से और ऐसी शर्तों पर, जैसा कि बैंक तय करे, जिसमें इस समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा देय किसी भी राशि के लिए चूक की स्थिति में असाइनी/हस्तांतरिती की ओर से उधारकर्ता, अतिरिक्त सुरक्षा या गारंटर के खिलाफ आगे बढ़ने की शक्ति बैंक के पास सुरक्षित रखना शामिल है। ऐसी कोई भी बिक्री, असाइनमेंट, हस्तांतरण या प्रतिभूतिकरण उधारकर्ता को बाध्य करेगा और उधारकर्ता तीसरे पक्ष को अपने एकमात्र लेनदार या लेनदारों के रूप में स्वीकार करेगा और ऐसी स्थिति में उधारकर्ता बैंक या ऐसे लेनदार को या जैसा कि बैंक निर्देश दे सकता है, इस समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा देय बकाया राशि का भुगतान करेगा। उधारकर्ता बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस समझौते के लाभ या दायित्व को सीधे या परोक्ष रूप से बेचने/हस्तांतरित करने/असाइन करने का हकदार नहीं होगा।

अनुच्छेद 11 संग्रह / प्रशासन

a) उधारकर्ता स्पष्ट रूप से यह मानता और स्वीकार करता है (यह पूर्व सहमति/पूर्व प्राधिकरण के बराबर है) कि बैंक, उधारकर्ता के संदर्भ या उसे कोई सूचना दिए बिना, पूरी तरह से हकदार होगा और उसके पास पूर्ण शक्ति और प्राधिकार होगा, बेचने, सौंपने, नवीकरण करने, प्रतिभूतियों को किसी तीसरे पक्ष या व्यक्ति को हस्तांतरित करने का, जैसा कि बैंक तय करे, ऋण और सभी बकाया देय और इस समझौते के तहत अधिकार और दायित्व और कोई भी सुरक्षा/अतिरिक्त सुरक्षा (गारंटी/गारंटियों सहित)/विभिन्न बीमा पॉलिसियों के तहत लाभ जो बैंक के पक्ष में बनाए जा सकते हैं, किसी भी तरीके से, पूरे या आंशिक रूप से और ऐसी शर्तों पर, जैसा कि बैंक तय करे, जिसमें इस समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा देय किसी भी राशि के लिए चूक की स्थिति में

असाइनी/हस्तांतरिती की ओर से उधारकर्ता, अतिरिक्त सुरक्षा या गारंटर के खिलाफ आगे बढ़ने की शक्ति बैंक के पास सुरक्षित रखना शामिल है। ऐसी कोई भी बिक्री, असाइनमेंट, नवीकरण, हस्तांतरण या प्रतिभूतिकरण उधारकर्ता को बाध्य करेगा और उधारकर्ता तीसरे पक्ष को अपने एकमात्र लेनदार या लेनदारों के रूप में स्वीकार करेगा और ऐसी स्थिति में उधारकर्ता बैंक या ऐसे लेनदार को या जैसा कि बैंक निर्देश दे सकता है, इस समझौते के तहत उधारकर्ता द्वारा देय बकाया राशि का भुगतान करेगा। उधारकर्ता बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस समझौते के लाभ या दायित्व को सीधे या परोक्ष रूप से बेचने/हस्तांतरित करने/असाइन करने/नवीकरण करने का हकदार नहीं होगा।

b) ऋणकर्ता स्पष्ट रूप से सहमत है और स्वीकार करता है कि बैंक को ऋणकर्ता को पूर्व सूचना दिए बिना भारत में किसी भी स्थान पर किसी भी समय संबंधित शाखा का स्थान बदलने या स्थानांतरित करने का पूर्ण अधिकार होगा। ऐसे स्थानांतरण की स्थिति में ऋणकर्ता इस समझौते के सभी उद्देश्यों के लिए ऐसे स्थानांतरित कार्यालय में उपस्थित होने के लिए सहमत है और ऐसा कार्यालय संबंधित शाखा होगा।

अनुच्छेद 12 विविध

12.1 निरीक्षण, संचार, अन्य प्रभार आदि।

a. ऋणकर्ता ऋण के संबंध में किसी भी स्थान पर ऋणकर्ता या उसके एजेंट द्वारा रखी गई सभी खाता बहियों और अन्य अभिलेखों का निरीक्षण बैंक द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को करने की अनुमति देगा। ऋणकर्ता ऐसी अन्य कंपनियों, अन्य बैंकों, संस्थाओं, क्रेडिट ब्यूरो या निकायों द्वारा भी इसी तरह के निरीक्षण की अनुमति देगा जिन्हें बैंक द्वारा दिए गए ऋण के उद्देश्य से बैंक नियुक्त या अधिकृत कर सकता है।

b. इसके साथ संलग्न अनुसूची इस समझौते का अभिन्न अंग होगी।

c. इस समझौते से संबंधित सभी नोटिस और/या अन्य संचार लिखित रूप में होंगे और बैंक के पास उपलब्ध अंतिम ज्ञात संचार पते पर डाक, मान्यता प्राप्त कूरियर सेवा, ईमेल और व्हाट्सएप, एसएमएस आदि सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा प्रेषित किए जाएंगे।

d. समझौते के संबंध में सभी लागतें (वकील लागत सहित), प्रभार, खर्च, कर, शुल्क (स्टाम्प शुल्क सहित), पंजीकरण शुल्क, इसके अनुसार निष्पादित कोई भी दस्तावेज और किसी भी प्रतिभूति का सृजन, प्रवर्तन, प्राप्ति या प्राप्ति का प्रयास, बीमा करना और उस पर कब्जा लेना, प्रतिभूति का रखरखाव, भंडारण और बिक्री, इन सबका वहन और भुगतान केवल उधारकर्ता द्वारा ही किया जाएगा।

e. उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर की मृत्यु के मामले में, स्वीकृति पत्र के अनुसार ऋण संरचना में जीवित पक्ष और मृतक के परिवार के सदस्य मृत्यु के 15 दिनों के भीतर बैंक को सूचित करने और ऋण समझौते में कानूनी उत्तराधिकारियों/अन्य गारंटर के नाम जुड़वाने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा न करने पर उन्हें इस ऋण की वसूली से संबंधित किसी भी कानूनी कार्यवाही में कोई दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

12.2 खाते का विवरण आदि।

बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित लेखा विवरण, बैंक को देय राशियों तथा बैंक द्वारा प्राप्त भुगतानों का निर्णायक साक्ष्य होगा।

12.3 किसी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया जाने वाला कोई भी नोटिस या अनुरोध लिखित रूप में होगा। ऐसा नोटिस या अनुरोध उस पक्ष द्वारा विधिवत प्राप्त माना जाएगा जिसे वह संबोधित किया गया है यदि वह नीचे निर्दिष्ट पते पर या ऐसे पते पर दिया जाता है जिसे इस समझौते के पक्षों ने इस समझौते के तहत प्रदान की गई विधि से अन्य पते पर सूचित किया है।

बैंक के लिए: अनुसूची ए की मद संख्या III में उल्लिखित पते पर।
उधारकर्ता के लिए: अनुसूची ए की मद संख्या IV में उल्लिखित पता।

बशर्ते कि ऋण लेने वाला व्यक्ति ऋण का पूर्ण और अंतिम संवितरण प्राप्त करने के तुरंत बाद, स्पष्ट रूप से लिखित रूप में अपने वर्तमान निवास पते की सूचना देगा। ऋण लेने वाले व्यक्ति की विफलता की स्थिति में, बैंक किसी भी पत्राचार के उद्देश्य से पूर्ण और अंतिम संवितरण की तिथि से संपत्ति के पते को वर्तमान निवास पते के रूप में मानने का हकदार होगा।

बैंक, ऋणी द्वारा नियुक्त किसी भी एजेंट से निर्देश स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा वह इस बात पर जोर देने का हकदार होगा कि इस समझौते के अंतर्गत सभी निर्देश ऋणी द्वारा सीधे/व्यक्तिगत रूप से बैंक को प्रदान किए जाएं।

बैंक अपने विवेकानुसार उधारकर्ता या संबंधित किसी भी व्यक्ति को कोई भी नोटिस भेज सकता है, बशर्ते कि ऐसी सभी सूचनाएं लिखित रूप में हों। हालाँकि उधारकर्ता बैंक को कोई भी नोटिस केवल हाथ से या पंजीकृत विज्ञापन डाक के माध्यम से ही भेजेगा।

यदि नोटिस डाक से दिया जाता है तो डाकघर में पहुंचने के 3 दिन बाद उसे प्राप्त माना जाएगा; यदि टेलीग्राम से दिया जाता है तो टेलीग्राफ कार्यालय में पहुंचने के 24 घंटे बाद उसे प्राप्त माना जाएगा; यदि व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है तो उधारकर्ता के पूर्वोक्त पते पर छोड़ दिया जाता है और यदि फैक्स द्वारा भेजा जाता है तो नोटिस प्रेषण के दिन ही पहुंचा हुआ माना जाएगा; बशर्ते कि फैक्स प्रेषण के दिन ही नोटिस की एक प्रति किसी प्रतिष्ठित रात भर के कूरियर द्वारा भेज दी जाए। बैंक के किसी अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र जिसने ऐसा नोटिस भेजा था कि उसे इस प्रकार भेजा गया था, अंतिम और निर्णायक होगा। उधारकर्ता द्वारा दिया गया कोई भी नोटिस या अनुरोध बैंक द्वारा उसकी वास्तविक प्राप्ति पर बैंक द्वारा प्राप्त माना जाएगा।

बशर्ते कि इसके विपरीत किसी बात के होते हुए भी, वितरण एजेंसी, जिसमें बिना किसी सीमा के डाकघर भी शामिल है, उधारकर्ता का एजेंट मानी जाएगी, न कि बैंक का।

12.4 पृथक्करणीयता.

यदि इस समझौते के किसी प्रावधान को किसी वर्तमान या भविष्य के कानून के तहत अवैध, अमान्य या लागू न करने योग्य माना जाता है, और यदि इस समझौते के तहत पक्षों के अधिकार या दायित्व भौतिक रूप से और प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होंगे, तो (ए) ऐसा प्रावधान पूरी तरह से अलग करने योग्य होगा; (बी) इस समझौते को इस तरह से समझा और लागू किया जाएगा जैसे कि ऐसा अवैध, अमान्य या लागू न करने योग्य प्रावधान कभी इसका हिस्सा नहीं था: और (सी) समझौते के शेष प्रावधान पूरी तरह से लागू रहेंगे और अवैध से प्रभावित नहीं होंगे, अमान्य, या अप्रवर्तनीय प्रावधान या इसके विच्छेद द्वारा।

12.5 शर्तों की स्वीकृति

ऋणकर्ता इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार ब्याज दरों और उसकी गणना पद्धति, अन्य शुल्कों, प्रभारों और देय सभी अन्य राशियों को उचित मानता है और ऋणकर्ता ने इस अनुबंध के अंतर्गत प्रत्येक शर्त और वित्तीय निहितार्थ, देय राशियों और देनदारियों तथा दायित्वों के अर्थ को समझ लिया है।

12.6 सर्वोच्चता और संशोधन

यह समझौता इस समझौते की विषय-वस्तु के संबंध में पक्षों के बीच इस समझौते की तिथि से पहले की सभी चर्चाओं और समझौतों (चाहे मौखिक या लिखित, सभी पत्राचार सहित) को प्रतिस्थापित करता है। इस समझौते को केवल प्रत्येक पक्ष द्वारा या उनकी ओर से विधिवत निष्पादित लिखित रूप में ही संशोधित या संशोधित किया जा सकता है।

12.7 शासी कानून।

यह समझौता भारत के कानून के अनुसार निर्मित और शासित होगा तथा इसमें कानूनों के टकराव के सिद्धांतों पर विचार नहीं किया जाएगा।

12.8 मध्यस्थता करना

इस समझौते से उत्पन्न या इसके संबंध में पक्षों के बीच किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति में पक्षों द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान किया जाएगा। यदि पक्षों को ऐसे विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने की आवश्यकता होती है, तो ऐसे विवादों या मतभेदों को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार बैंक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ की मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित करने का स्थान नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत होगा। मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी या हिंदी होगी। मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
इस तरह की मध्यस्थता की लागत हारने वाले पक्ष या पक्षों द्वारा या अन्यथा मध्यस्थता पुरस्कार में निर्धारित अनुसार वहन की जाएगी। यदि किसी पक्ष को किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई द्वारा मध्यस्थता पुरस्कार को लागू करने की आवश्यकता होती है, तो जिस पक्ष के खिलाफ ऐसी कानूनी कार्रवाई की जाती है, उसे सभी उचित लागत और व्यय और वकील की फीस का भुगतान करना होगा, जिसमें पुरस्कार को लागू करने की मांग करने वाले पक्ष द्वारा किए गए अतिरिक्त मुकदमेबाजी या मध्यस्थता की कोई भी लागत शामिल है।

12.9 क्षेत्राधिकार

दोनों पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि इस समझौते से उत्पन्न और/या इससे संबंधित सभी विवाद, जिसमें कोई भी संपार्श्विक दस्तावेज शामिल है, उस शहर के सक्षम न्यायालय के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे जहां बैंक का ऋण कार्यालय स्थित है।

12.10 **The** उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता और/या गारंटर को समय-समय पर लागू दरों पर सेवा कर, ब्याज कर और अन्य करों और शुल्कों का भुगतान और वहन भी करना होगा।

यदि इस अनुबंध का कोई नियम, शर्त या प्रावधान किसी लागू कानून, संविधि या विनियमन का उल्लंघन करता पाया जाता है या किसी भी कारण से सक्षम न्यायालय अनुबंध के किसी प्रावधान या उसके किसी भाग को लागू न करने योग्य पाता है, तो उस प्रावधान को अनुबंध के उद्देश्य को प्रभावी करने के लिए अधिकतम स्वीकार्य सीमा तक लागू किया जाएगा, और इस अनुबंध का शेष भाग पूर्ण शक्ति और प्रभाव में बना रहेगा।

इस समझौते में निहित कोई भी बात बैंक के प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूतिकरण अनुबंध के तहत आगे बढ़ने के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी। प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("प्रतिभूतिकरण अधिनियम")।

12.11 मैंने/हमने सम्पूर्ण अनुबंध पढ़ लिया है/समझा दिया गया है तथा इसे मेरी/हमारी उपस्थिति में पूरा किया गया है।

मैं/हम जानते हैं कि बैंक मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत ऋण आवेदन में मेरे/हमारे द्वारा भरी गई सभी शर्तों और विवरणों के संबंध में स्वयं संतुष्ट होने के बाद ही इस समझौते का पक्ष बनने के लिए सहमत है।

मैंने/हमने उपरोक्त खंडों तथा महत्वपूर्ण ऋण समझौतों को पढ़ लिया है और समझा दिया गया है। इसे मेरी/हमारी उपस्थिति में भरा गया है। मैं/हम इस महत्वपूर्ण विवरण सहित सभी शर्तों को मानने के लिए बाध्य होंगे। पूर्ववत में दिए गए करारनामे और अन्य दस्तावेजों को मेरी/हमारी समझ में आने वाली भाषा में मुझे/हमें बताया गया है और मैंने/हमने विभिन्न खंडों का पूरा तात्पर्य समझ लिया है। ऋण प्राप्तकर्ताओं ने इस समझौते की विषयवस्तु सत्यापित करने और समझने के बाद अपने हस्ताक्षर किए हैं।

उधार लेने वाला	सहउधार लेने वाला	सहउधार लेने वाला	सहउधार लेने वाला

शिड्यूल A

मद संख्या	**विवरण**	
I.	समझौते के निष्पादन का स्थान	
II.	समझौते के निष्पादन की तिथि	
III.	बैंक के संबंधित शाखा कार्यालय का पता	शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड
IV.	उधारकर्ता/ओं का नाम और पता	1) नाम:
		पता: ईमेल-
		2) नाम:
		पता: ईमेल-
		3) नाम:

		पता: ईमेल-
		4) नाम:
		पता: ईमेल-
		5) नाम:
		पता: ईमेल-
		6) नाम:
		पता: ईमेल-

		7) नाम:
		पता: ईमेल-
		8) नाम:
		पता: ईमेल-
		9) नाम:
		पता: ईमेल-
		10) नाम:

		पता: ईमेल-
		11) नाम:
		पता: ईमेल-
V.	ऋण राशि (राशि संख्या और शब्दों में):	संख्या: रु._____/- शब्द :(रुपये _____

VI.	ब्याज दर: (जो भी लागू हो, उस पर निशान लगाएं)	अनुसूची बी के अनुसार निश्चित ब्याज दर ( ) अनुसूची सी के अनुसार फ्लोटिंग ब्याज दर ( )प्री-एमआई ब्याज (यदि लागू हो) (प्रासंगिक के अनुसार) अनुसूची बी या सी, जैसा भी मामला हो) ()
VII.	स्थानापन्न ब्याज	.....% प्रति वर्ष मासिक चक्रवृद्धि
VIII.	प्रतिबद्धता शुल्क (जैसा कि अनुच्छेद 2.8 में संदर्भित है)	स्वीकृति पत्र एवं बैंक के प्रभार अनुसूची के अनुसार
IX.	चेक/अनुदेश अनादर	स्वीकृति पत्र एवं बैंक के प्रभार अनुसूची के अनुसार
X.	स्वैप शुल्क (पोस्टडेटेड चेक जारी करने के लिए)	स्वीकृति पत्र एवं बैंक के प्रभार अनुसूची के अनुसार
XI.	संग्रहण शुल्क	वास्तविक के अनुसार
XII.	गारंटर/गारंटर	1) नाम:
		पता: ईमेल-
		2) नाम:
		पता: ईमेल-

		3)नाम:
		पता: ईमेल-
		4)नाम:
		पता: ईमेल-
		5) नाम:
		पता: ईमेल-
		6) नाम:
		पता: ईमेल-

		7) नाम:
		पता: ईमेल-
		8) नाम:
		पता: ईमेल-
		9) नाम:
		पता: ईमेल-
		10) नाम:
		पता: ईमेल-
		11) नाम:
		पता: ईमेल-
XIII.	पूर्व भुगतान:	स्वीकृति पत्र एवं बैंक के प्रभार अनुसूची के अनुसार
XIV.	ऋणदाता द्वारा चयनित पुनर्भुगतान विकल्प:	जैसा कि अनुसूची बी / अनुसूची सी में उल्लेख किया गया है

अनुसूची बी

निश्चित ब्याज दर वाले ऋण पर लागू नियम और शर्तें

(A) ब्याज की गणना:

निश्चित ब्याज दर .....% प्रति वर्ष होगी। इसकी गणना मासिक शेष के आधार पर की जाएगी। इसका भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा।

(B) ऋण की चुकौती और ब्याज का भुगतान:

a) ऋण और ब्याज उधारकर्ता द्वारा निम्नलिखित मासिक किश्तों में देय होगा:

महीने के किस्त (एमआई) राशि रु.	एमआई की संख्या	अवधि से को	मासिक भुगतान योग्य पर या उससे पहले

अनुसूची सी

अस्थिर ब्याज दर वाले ऋण पर लागू नियम और शर्तें

(A) लागू दर :

a) फ्लोटिंग ब्याज दर (एफआईआर) = ईबीएलआर [%] + क्रेडिट जोखिम प्रीमियम [%]

b) उधारकर्ता बाहरी बेंचमार्क आधारित उधार दर (ईबीएलआर) पर क्रेडिट जोखिम प्रीमियम के रूप में [%] की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए सहमत है, जो वर्तमान में [%] है, (इसके बाद "बेंचमार्क दर" के रूप में संदर्भित) अर्थात [%] प्रति वर्ष मासिक अवकाश के साथ।

(B) ब्याज की गणना:

a) उधारकर्ता से ऊपर उल्लिखित दर पर मासिक शेष के आधार पर फ्लोटिंग ब्याज दर ली जाएगी।

(C) ऋण की चुकौती और ब्याज का भुगतान:

a) ऋण और एफआईआर का भुगतान उधारकर्ता द्वारा निम्नलिखित मासिक किस्तों में किया जाएगा:

महीने के किस्त (एमआई) राशि रु.	एमआई की संख्या	अवधि से को	मासिक भुगतान योग्य पर या उससे पहले

b) एफआईआर परिवर्तन के परिणामस्वरूप किसी भी लाभ/हानि होने की स्थिति में, उक्त मासिक किस्तों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऋणी को ऋण की अवधि के अंत में लाभ/हानि की भरपाई प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि यदि एफआईआर परिवर्तन के परिणामस्वरूप ऋण की अवधि के किसी भी विस्तार के परिणामस्वरूप, नीति के अनुसार अधिकतम अवधि पार होने की संभावना है, तो बैंक ऋण की अंतिम किस्त में उचित परिवर्तन करेगा।

c) ब्याज की अस्थिर दर (आरबीआई रेपो दर/स्प्रेड/क्रेडिट जोखिम प्रीमियम) के उपर्युक्त घटक को बैंक द्वारा समय-समय पर कई अंतरालों पर बदला जाएगा, जैसे मासिक/तिमाही/अर्धवार्षिक/वार्षिक या बैंक द्वारा तय किए गए अनुसार।

अनुसूची डी

(A) संपत्तियों/प्रतिभूतियों का विवरण

(B) ऋण किस उद्देश्य से दिया जाता है

मद संख्या।	उद्देश्य	टिक और आरंभिक के खिलाफ उद्देश्य
I.	फ्लैट/मकान/बंगला खरीदने के लिए ऋण	
II.	संपत्ति की खरीद और निर्माण के लिए ऋण	
III.	घर निर्माण के लिए ऋण	
IV.	कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए ऋण	
V.	मशीनरी खरीद के लिए ऋण	
VI.	व्यावसायिक परिसंपत्ति निर्माण/वाणिज्यिक निर्माण/वाणिज्यिक संपत्ति खरीद के लिए ऋण	
VII.	छत पर सौर ऊर्जा खरीदने के लिए ऋण	
VIII.	वित्तीय स्वैप के लिए ऋण	
IX.	व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऋण	
X.	सामाजिक बुनियादी ढांचे अर्थात स्कूल/कॉलेज/अस्पताल/होटल/आदि के लिए ऋण	
XI.	कोष्ठक में निर्दिष्ट अन्य उद्देश्य के लिए ऋण ( )	

अनुसूची ई

संभावित संवितरण अनुसूची

संभावित तिथि / कार्यक्रम नीचे निर्दिष्ट है	राशि रु.

अनुसूची एफ

घोषणा

मैं/हम सहमत हैं, घोषणा करते हैं, वचन देते हैं, आश्वासन देते हैं और पुष्टि करते हैं कि मेरे/हमारे कानूनी उत्तराधिकारियों की सूची, उनके पूर्ण नाम और पते के साथ, जैसा कि नीचे दिया गया है, बैंक को मेरे या हममें से किसी के निधन की स्थिति में/बैंक द्वारा मुझे/हमें दी गई ऐसी ऋण सुविधाओं के लंबित रहने के दौरान उनमें से किसी से भी अपने बकाये की वसूली के लिए कदम उठाने में सक्षम बनाने के लिए है।

उधारकर्ता का नाम	कानूनी उत्तराधिकारियों का नाम	उसकी उम्र	उधारकर्ता/गारंटर के साथ संबंध	पतों

मैं/हम नीचे अपनी चल/अचल सम्पत्तियों का विवरण भी दे रहे हैं, जो मुझे/हमें दी गई वित्तीय सहायता के लिए बैंक को प्रतिभूति के रूप में नहीं दी गई हैं।

विवरण	विवरण काचल/ अचल संपत्ति साथभरा हुआ पता(कहाँ स्थित है)	किसके नाम पर संपत्तिखड़ा	उपस्थितभार	चाहेपट्टे पर दिया /स्वामित्व/पूर्ण अधिकार	वर्तमान बाजार मूल्य
			अभारग्रस्त	पूर्ण अधिकार	
			अभारग्रस्त	निरपेक्षअधिकार	
			अभारग्रस्त	निरपेक्षअधिकार	
			अभारग्रस्त	निरपेक्षअधिकार	
			अभारग्रस्त	निरपेक्षअधिकार	
			अभारग्रस्त	निरपेक्षअधिकार	
			अभारग्रस्त	निरपेक्षअधिकार	
			अभारग्रस्त	निरपेक्षअधिकार	
			अभारग्रस्त	निरपेक्षअधिकार	

जिसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने ऊपर लिखे दिन, माह और वर्ष पर हस्ताक्षर किए हैं।

उधारकर्ता का नाम	हस्ताक्षर उधारकर्ता(ओं) का

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता